



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 5, 2017/भाद्र 14, 1939

No. 342]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017/BHADRA 14, 1939

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं.डीई-87-2017.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, वर्ष 1948 (वर्ष 1948 का 16वां अधिनियम) की धारा 20 की उपधारा(2) के खंड (जी), (एच) एवं (एचए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद, उक्त अधिनियम के खंड (जी) एवं (एच) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, एवं भारतीय दन्त परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 के अधिक्रमण में, उक्त अधिक्रमण के पूर्व जो भी चीजें की गई हों अथवा किए जाने से छोड़ी गई हों उनसे संबंधित को छोड़कर, केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, एतद्वारा निम्नांकित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियमों का गठन करती है:—

भाग-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**—(1) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद, दन्त शल्यक्रिया निष्णात पाठ्यक्रम विनियम, 2017 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएं**— जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, तब तक इन विनियमों में :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (वर्ष 1948 का 16वां अधिनियम) है

(ख) "परिषद" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय दन्त परिषद है;

(ग) "डेंटिस्ट्री" में शामिल हैं :

- मानव दन्त या जबड़ों पर किसी शल्यक्रिया का निष्पादन, एवं उनके किसी रोग, न्यूनता या क्षति का उपचार, एवं मानव दन्त या जबड़ों या मुख गुहा के संबंध में रेडियोग्राफिक कार्य का निष्पादन;
- उक्त शल्यक्रिया या उपचार के संबंध में कोई निश्चेतक देना;

- (iii) कृत्रिम दन्तावलियों या बहाली (रेस्टोरेटिव) दन्त उपकरणों का यांत्रिक निर्माण या नवीनीकरण ;
- (iv) कृत्रिम यंत्रावलियों या बहाली (रेस्टोरेटिव) दन्त उपकरणों की फिटिंग, प्रविष्टि, फिक्सिंग, निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के प्रयोजन से या के संबंध में कोई शल्यक्रिया करना या की तैयारी में किसी व्यक्ति को उपचार, सलाह या परिचर्या देना, एवं उक्त शल्यक्रिया का निष्पादन एवं उक्त उपचार, सलाह या परिचर्या का दिया जाना, जैसे दन्त चिकित्सकों द्वारा सामान्यतः निष्पादित किया जाता है;
- (घ) "नीट" (NEET) का अर्थ परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ़ एकज़ामिनेशन द्वारा संचालित नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टैस्ट (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) है;
- (ङ) "विश्वविद्यालय" का अर्थ किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है और इसमें ऐसे संस्थान शामिल हैं जिन्हें, संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से, इस अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता दी गई हो।

भाग-2

सामान्य शर्तें जिनका पालन परा-स्नातक शिक्षण संस्थानों को करना है

3. सामान्य शर्तें — (1) केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान परिषद से परामर्श के बाद परा-स्नातक उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक या अधिक) संचालित करने हेतु पात्र होंगे।
- (2) किसी परास्नातक पाठ्यक्रम में, संबद्धतादायी विश्वविद्यालय द्वारा परास्नातक उपाधि या डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण अवसंरचना, अध्यापन स्टाफ़ एवं क्लीनिकल अध्यापन सामग्री की दृष्टि से विभाग में उपलब्ध सुविधाओं द्वारा होगा। हालांकि, आरंभ करने के लिए, एक विशेषज्ञता विभाग में अधिकतम तीन परास्नातक विद्यार्थियों (एक यूनिट) की अनुमति होगी। शैक्षिक वर्ष विशेष के लिए परिषद द्वारा अनुशंसित एवं केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक अंतर्ग्रहण क्षमता अंतिम होगी। किसी भी संस्थान को किसी शैक्षिक वर्ष विशेष में किसी विशेषज्ञता विशेष में अपनी वार्षिक अंतर्ग्रहण क्षमता में एक बार में तीन से अधिक सीटों की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक विशेषज्ञता के लिए किसी भी दन्त संस्थान को दो यूनिटों अर्थात् छः सीटों (सीट वृद्धि शामिल) से अधिक की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- (3) परास्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निम्नांकित के संपर्क में लाया जाएगा :-
- (i) जैव-सांख्यिकी एवं शोध क्रियापद्धतियों के मूल सिद्धांत;
- (ii) मानव व्यवहार संबंधी अध्ययनों के मूल सिद्धांत;
- (iii) फार्माको-इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांत;
- (iv) अरेखीय गणित से परिचय।

4. डेंटिस्ट्री में नैतिकता —

पारंपरिक रोगी चिकित्सक संबंध और दन्त देखभाल की प्रदायगी में निश्चित रूप से एक बदलाव आया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति तथा रोगियों, उनके परिवारों और समुदाय की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ, समग्र रूप से समुदाय के स्वास्थ्य की चिंता मौजूद है। समाज के प्रति जवाबदेही बढ़ी है। अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की तरह दन्त विशेषज्ञों को भी नैतिकता से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी के तंत्र में मौजूद हर व्यक्ति के लिए खुद को इन समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। इसे हासिल करने और मानवीय मूल्य विकसित करने के लिए, यह वांछनीय है कि सभी प्रशिक्षु नैतिकता संबंधी मुद्दों पर व्याख्यानों या चर्चाओं द्वारा और, महत्वपूर्ण नैतिक घटक वाले मामलों की चर्चाओं द्वारा नैतिक संवेदीकरण की प्रक्रिया से गुजरें।

5. प्रवेश हेतु पात्रता —

मास्टर इन डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अभ्यर्थी के पास भारत के किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदत्त एवं राज्य दन्त परिषद में पंजीकृत बैचलर इन डेंटल सर्जरी की मान्यता प्राप्त उपाधि होनी चाहिए एवं उसने अनंतिम या स्थायी पंजीयन प्राप्त किया हो एवं वह किसी अनुमोदित/मान्यता-प्राप्त दन्त महाविद्यालय में एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप कर चुका हो :

बशर्त कि विदेशी नागरिक होने की स्थिति में निम्नांकित कार्यविधि का पालन किया जाएगा :-

परिषद, पंजीयन हेतु विहित शुल्क का भुगतान किए जाने पर, सिर्फ और सिर्फ परास्नातक अध्ययन हेतु उस समय के लिए उसे

जिस दन्त महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश मिला है उस दन्त महाविद्यालय/संस्थान तक सीमित परास्नातक पाठ्यक्रम की अवधि के लिए अस्थायी पंजीयन स्वीकृत कर सकती है :

बशर्ते यह भी कि उक्त विदेशी नागरिक का अस्थायी पंजीयन इस शर्त के अधीन होगा कि वह व्यक्ति, जिस देश में उसने अपनी मूलभूत दन्त अर्हता प्राप्त की है उस देश में एक चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रेक्टिसनर) के रूप में विधिवत पंजीकृत हो और यह कि उसकी उपाधि

6. परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थी का चयन —

प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में परा—स्नातक दन्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक एकसमान नीट होगा जिसे नेशनल बोर्ड ऑफ़ एकज़ामिनेशन या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अन्य प्राधिकरण द्वारा विहित विधि से संचालित किया जाएगा। नीट का समग्र अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण परिषद के पास होगा।

7. परा—स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी मानदंड — (1) अभ्यर्थी को किसी शैक्षिक वर्ष विशेष में आयोजित परा—स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट में निम्नांकित श्रेणीवार न्यूनतम शततमक (पर्सेंटाइल) प्राप्त करना होगा।

सामान्य	50वां शततमक
पैरों की चलन अशक्तता से पीड़ित व्यक्ति	45वां शततमक
अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग	40वां शततमक

बशर्ते कि शततमक का निर्धारण परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु नीट में अखिल भारतीय सर्वनिष्ठ योग्यता सूची में प्राप्त अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा :

बशर्ते यह भी कि जब संबंधित श्रेणियों में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी शैक्षणिक वर्ष में आयोजित नीट में यथा विहित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहे, तो केंद्र सरकार, परिषद से परामर्श करके स्वविवेकाधीन, संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक घटा सकती है, और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार घटाए गए न्यूनतम अंक केवल उक्त शैक्षणिक वर्ष हेतु लागू होंगे।

(2) संबंधित श्रेणियों हेतु दन्त महाविद्यालयों/संस्थानों में सीटों का आरक्षण राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रचलित लागू कानूनों के अनुसार होगा। नीट में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय योग्यता सूची एवं राज्य—वार योग्यता सूची तैयार की जाएंगी और केवल उक्त योग्यता सूचियों से ही अभ्यर्थियों को परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा :

बशर्ते कि सरकारी/सार्वजनिक प्राधिकरण में सेवारत अभ्यर्थियों की योग्यता के निर्धारण में, सरकार/सक्षम प्राधिकरण द्वारा अंकों में सुदूर और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए नीट के प्राप्तांकों के 10% तक की दर से प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा प्राप्तांकों का 30% होगी। सुदूर एवं कठिन क्षेत्र समय—समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकरण द्वारा यथा—परिभाषित के अनुसार होंगे।

(3) इन विनियमों में यथा विहित न्यूनतम शततमक प्राप्त करने में विफल रहने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी शैक्षणिक वर्ष में किसी भी परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(4) वार्षिक स्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता की न्यूनतम 5% सीटें, पैरों की 50% से 70% चलन अशक्तता से पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी।

बशर्ते कि यदि पैरों की 50% से 70% चलन अशक्तता से पीड़ित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण इस कोटा की कोई भी सीट रिक्त रहती है, तो उन रिक्त सीटों को पहले पैरों की 40% से 50% चलन अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा — तत्पश्चात्

शेष सीटों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा :

बशर्ते यह भी कि यह संपूर्ण कार्य प्रवेश की सांविधिक समय—सारणी के अनुसार प्रत्येक दन्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

8. शैक्षणिक सत्र का आरंभ एवं प्रवेश की अंतिम तिथि —

(1) शैक्षणिक सत्र 1 मई से आरंभ होगा और मास्टर ऑफ़ डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि, इक्का-दुक्का रिक्तियों के लिए भी, प्रत्येक वर्ष की 31 मई होगी। विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थान प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार आरंभ करेंगे कि परा-स्नातक पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रत्येक वर्ष की 1 मई को आरंभ हो जाए, जिसके लिए वे भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का खोला जाना एवं वर्तमान दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 में निर्दिष्ट समय-सारणी का कड़ाई से पालन करेंगे।

(2) किसी भी परिस्थिति में परास्नातक पाठ्यक्रमों में 31 मई के बाद किसी भी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालय या संस्थान उक्त तिथि के बाद किसी विद्यार्थी को पंजीकृत नहीं करेगा; यदि कोई संस्थान उक्त के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद किसी विद्यार्थी को प्रवेश देता है तो वह संस्थान भी कार्रवाई के अधीन होगा जिसमें उत्तरवर्ती शैक्षणिक वर्ष की उसकी स्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता में से इस प्रकार नियम-विपरीत दिए गए प्रवेशों की संख्या के समतुल्य सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।

(3) परिषद यह निर्देश दे सकती है कि प्रवेश समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश पाए गए के रूप में पहचाने गए किसी भी विद्यार्थी को अध्ययन पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाए या ऐसे किसी भी विद्यार्थी को प्रदान की गई कोई भी दन्त अर्हता, अधिनियम के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त अर्हता नहीं होगी।

9. साझा परामर्श (कॉमन काउंसिलिंग) — (1) नीट की योग्यता सूची के आधार पर सभी दन्त शिक्षण संस्थानों में सभी परास्नातक पाठ्यक्रमों (डिप्लोमा/एमओएस) में प्रवेश के लिए साझा परामर्श संचालित किया जाएगा।

“2. स्नातकोत्तर (डिप्लोमा/एम.डी.एस.) पाठ्यक्रमों के लिये वर्तमान में जारी योजना के अनुसार सम्मिलित राज्यों के लिये 50: अखिल भारतीय कोटा सीटों की काउंसिलिंग के लिये महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नामित प्राधिकारी होगा। साथ ही भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, केन्द्र सरकार के दन्त शिक्षण संस्थानों और संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों में सभी स्नातकोत्तर (डिप्लोमा/एम.डी.एस.) पाठ्यक्रमों के लिये काउंसिलिंग आयोजित करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा स्थापित दन्त शिक्षण संस्थान और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थानों के दन्त शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर (डिप्लोमा/एम.डी.एस.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये काउंसिलिंग राज्य सरकार/संघ शासित सरकार द्वारा की जायेगी।

4. यदि उक्त साझा परामर्श के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस संबंध में केंद्र सरकार के विषय एवं उसके निर्णय अंतिम होंगे।

10. प्रवेश एवं परीक्षा समय-सारणी की जानकारी — प्रत्येक दन्त संस्थान एवं उसका संबद्धतादायी विश्वविद्यालय, समय-समय पर निर्धारित समय के अंदर, परिषद द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले रूप में, परिषद को अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं परीक्षाओं की समय सारणियों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

11. प्रशिक्षण की अवधि — (1) एमडीएस पाठ्यक्रम की प्रदायगी हेतु प्रशिक्षण की अवधि संस्थान में पूर्णकालिक अभ्यर्थियों के रूप में कम-से-कम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए तीन वर्षों की होगी।

बशर्ते कि, एमडीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक समय, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि से अधिकतम छः वर्ष होगा :

बशर्ते यह भी कि परास्नातक डिप्लोमा धारकों के लिए, परास्नातक पाठ्यक्रम की अवधि संबंधित विशेषज्ञता में दो वर्षों की होगी। सिलेबस और पाठ्यचर्या वही होंगे जो संबंधित विशेषज्ञता में एमडीएस पाठ्यक्रम के हैं, अंतर बस इतना होगा कि उनके लिए (प) बेसिक साइसेंज में अध्ययन करना एवं प्रशिक्षण लेना, और (पप) एमडीएस पाठ्यक्रम की भाग-1 परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। हालांकि, उन्हें परास्नातक कार्यक्रम के भाग के रूप में शोध-निबंध प्रस्तुत करना होगा।

(2) इस अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा रूपांकित प्रशिक्षण की अधिगम और अध्यापन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा। प्रत्येक विशेषज्ञता में अध्यापन और अधिगम गतिविधियां निम्नवत होंगी :-

(क) व्याख्यान :

विशेषज्ञता में और संबंधित क्षेत्रों में कुछ प्रबोधनात्मक व्याख्यान दिए जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सशक्त बनाने के लिए

विभाग चयनित टॉपिकों पर आवश्यक क्षेत्रों में अतिथि व्याख्यान एवं बहुविषयक दलों द्वारा समेकित व्याख्यान प्रोत्साहित करेंगे।

(ख) शोधपत्रिका समीक्षा :

शोधपत्रिका समीक्षा बैठकें सप्ताह में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएंगी। सभी प्रशिक्षुओं और परास्नातक कार्यक्रम से संबंधित एसोसिएटों एवं स्टाफ के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना और कार्य पंजी में प्रासंगिक विवरण प्रविष्ट करना अपेक्षित है। प्रशिक्षु चयनित लेखों की आर्बिट्रिट शोधपत्रिकाओं से प्रस्तुतियां बनाएंगे। शोधपत्रिका समीक्षा प्रस्तुतियों के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची इन विनियमों की अनुसूची-1 में संलग्न की गई है।

(ग) संगोष्ठियां :

प्रत्येक विभाग में सप्ताह में कम-से-कम दो बार संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। सभी प्रशिक्षुओं के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना और कार्य पंजी में प्रासंगिक विवरण प्रविष्ट करना अपेक्षित है। संगोष्ठी प्रस्तुतियों के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची इन विनियमों की अनुसूची-2 में संलग्न की गई है।

(घ) परिचर्चा :

अनुशासा की जाती है कि एक से अधिक विषयों को कवर करने वाले टॉपिकों पर परिचर्चा आयोजित की जाए।

(ङ.) क्लीनिकल पोस्टिंग :

प्रत्येक प्रशिक्षु, विभिन्न मामलों के प्रबंधन में पर्याप्त पेशेवर कौशल एवं सक्षमता प्राप्त करने के लिए क्लीनिकों में नियमित रूप से कार्य करेगा। क्लीनिकल पोस्टिंग के मूल्यांकन की एक आदर्श जांच-सूची इन विनियमों की अनुसूची-3 में संलग्न की गई है।

(च) क्लीनिको-पैथोलॉजिकल सम्मेलन :

माह में एक बार क्लीनिको-पैथोलॉजिकल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिसमें ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी और संबंधित क्लीनिकल विभाग के अध्यापक शामिल होंगे। प्रशिक्षुओं को क्लीनिकल विवरण, रेडियोलॉजिकल एवं हिस्टो-पैथोलॉजिकल व्याख्याओं की प्रस्तुति और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(छ) अंतर्विभागीय बैठकें :

विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, माह में कम-से-कम एक बार अंतर्विभागीय बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता संकाय-अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं सभी परास्नातक विभागों के प्रमुख इसमें भाग लेंगे।

(ज) अध्यापन कौशल :

सभी प्रशिक्षुओं को व्याख्यानों या समूह चर्चाओं के रूप में स्नातक अध्यापन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यापन कौशलों के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची इन विनियमों की अनुसूची-4 में संलग्न की गई है।

(झ) दन्त शिक्षा कार्यक्रम :

प्रत्येक विभाग अन्य संस्थानों को संलग्न करते हुए दन्त शिक्षा कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित करेगा। प्रशिक्षुओं को उनके विश्वविद्यालय या संस्थान के बाहर संचालित उक्त कार्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ञ) सम्मेलन/कार्यशालाएं/उन्नत पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में सम्मेलनों/कार्यशालाओं/उन्नत पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए, और राज्य/राष्ट्र स्तरीय विशेषज्ञता एवं संबंधित सम्मेलनों/सभागमों में कम-से-कम दो वैज्ञानिक शोधपत्र एवं दो पोस्टर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ट) अन्य विभागों में बारी-बारी से स्थानांतरण एवं पोस्टिंग :

विशेषज्ञता एवं संबंधित क्षेत्रों में अधिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग प्रशिक्षुओं को संबंधित विषयों में बारी-बारी से स्थानांतरित करने का एक कार्यक्रम तैयार करेगा।

(ठ) शोध-निबंध/शोध-प्रबंध :

प्रशिक्षु, गाइड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत उनके द्वारा संचालित किसी क्लीनिकल या प्रयोगात्मक कार्य या अन्य किसी अध्ययन के

आधार पर एक शोध-निबंध तैयार करेंगे। शोध-निबंध प्रस्तुति के मूल्यांकन और गाइड/को-गाइड द्वारा शोध-निबंध कार्य के सतत मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची इन विनियमों की अनुसूची-5 में संलग्न की गई है। परास्नातक पाठ्यक्रम कर रहे सभी प्रशिक्षुओं द्वारा पूर्ण किया जाने वाला आदर्श समग्र आकलन पत्रक इन विनियमों की अनुसूची-6 में संलग्न किया गया है।

(3) विशेषज्ञता विभागों के सभी विद्यार्थी अध्यापन एवं अधिगम गतिविधियों का न्यूनतम कोटा, निम्नवत पूरा करेंगे :-

(क) शोधपत्रिका क्लब	:	एक वर्ष में 5
(ख) संगोष्ठियां	:	एक वर्ष में 5
(ग) क्लीनिकल केस प्रस्तुतिकरण	:	एक वर्ष में 4
(घ) स्नातकों हेतु दिए गए व्याख्यान	:	वर्ष में 1
(ङ) राज्य/राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों में वैज्ञानिक शोधपत्र/ पोस्टर प्रस्तुतियां	:	तीन वर्ष की प्रशिक्षण कार्यशाला अवधि में 4 शोधपत्र/पोस्टर
(च) क्लीनिको-पैथोलॉजिकल सम्मेलन	:	तीन वर्ष की प्रशिक्षण अवधि में 2 प्रस्तुतियां
(छ) वैज्ञानिक प्रकाशन (वैकल्पिक)	:	किसी भी अनुक्रमित वैज्ञानिक शोधपत्रिका में एक प्रकाशन
(ज) सार-संक्षेप जमा करना	:	पाठ्यक्रम आरंभ तिथि से छः माह के अंदर एक सार-संक्षेप
(झ) शोध-निबंध जमा करना	:	विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से पूर्व के छः माह के अंदर एक शोध-निबंध
(ञ) पुस्तकालय शोध-निबंध जमा करना	:	पाठ्यक्रम आरंभ तिथि से अठारह माह के अंदर एक शोध-निबंध

12. **वृत्तिका (स्टिपेंड)** – परास्नातक विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम के तीन वर्षों की अवधि के लिए, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन या संबंधित सरकार/प्रशासन द्वारा अधिकृत किए गए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वृत्तिका (स्टिपेंड) का भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसी किसी वृत्तिका, जिसमें वृत्तिका की राशि शामिल है, के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर केंद्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर विचार करके निर्णय दिया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

13. **स्थानांतरण** : किसी भी परिस्थिति में, विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा किसी भी परास्नातक उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानांतरण/अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्र आरंभ होने की तिथि के बाद, उसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में विशेषज्ञता की अदला-बदली की अनुमति नहीं होगी।

भाग-3

14. **अवसंरचना तथा कार्यक्षमता संबंधी आवश्यकताएं** :

(1) **स्थान** : स्नातक कार्यक्षम सुविधाओं के अतिरिक्त, परास्नातक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी :-

(क) क्लीनिक में प्रत्येक डेंटल चेयर के लिए न्यूनतम 125 वर्गफुट स्थान। क्लीनिक का क्षेत्रफल, विभाग में रखी जाने हेतु आवश्यक डेंटल चेयर की संख्या के अनुरूप होगा।

(ख) प्रत्येक विभाग में एक संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय, निर्जमीकरण कक्ष (800 से 1000 वर्गफुट) होंगे।

(2) **उपकरण** : प्रत्येक विभाग में आईएसआई द्वारा यथा अनुमोदित बाजार में उपलब्ध मानक उपकरणों की पर्याप्त संख्या होगी।

उपकरणों का विशेषज्ञतावार/यूनिटवार विवरण इन विनियमों की अनुसूची-7 के रूप में संलग्न किया गया है।

(3) **पुस्तकालय** : (क) एक केंद्रीय पुस्तकालय होगा जिसमें विशेषज्ञता एवं संबंधित विषयों से संबंधित पुस्तकों के सभी हालिया संस्करण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभागीय पुस्तकालय में संबंधित विषयों की नवीनतम पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि केंद्रीय पुस्तकालय चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साझा हो, तो दन्त महाविद्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान

एवं पृथक बजट आबंटन की व्यवस्था होगी।

(ख) पुस्तकालय में पुस्तकों एवं शोधपत्रिकाओं के अलावा इंटरनेट, सीडी, ऑडियो-विजुअल सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए।

(ग) प्रख्यात लेखकों की कम-से-कम 15-20 पुस्तकें, संबंधित विशेषज्ञता की 4-6 अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्रिकाएं एवं साथ में संबंधित विशेषज्ञता की कम-से-कम 3 अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्रिकाओं के पिछले अंकों के 8-10 खंड उपलब्ध होने चाहिए।

(घ) विशेषज्ञता और संबंधित विषयों की सभी शोधपत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें से 50% मुद्रित रूप में होंगी।

ध्यान दें : सभी मौजूदा दन्त संस्थान, आधिकारिक राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के अंदर, पाँच एकड़ की भूमि आवश्यकता को छोड़कर अन्य सभी विनियमों का अनुपालन करेंगे।

भाग-4

परास्नातक पाठ्यक्रम का स्टाफ़ स्वरूप

15. अध्यापन स्टाफ़ :

एक यूनिट में दो परास्नातक विद्यार्थियों को एक प्रोफ़ेसर गाइड करेंगे तथा एक विद्यार्थी को एक अध्येता (रीडर) या एसोसिएट प्रोफ़ेसर गाइड करेंगे। परास्नातक प्रशिक्षण के मानकों को सशक्त बनाने एवं कायम रखने के लिए, परास्नातक पाठ्यक्रम के आरंभ हेतु निम्नांकित यूनिटवार स्टाफ़ स्वरूप अनिवार्य किया गया है :-

यूनिट 1 :-

विभाग / विशेषज्ञता	50 प्रवेशों की बुनियादी अवसंरचना वाले स्नातक संस्थान में यूनिट 1 की न्यूनतम संकाय आवश्यकता		
	प्रोफ़ेसर (एचओडी)	अध्येता (रीडर) / एसोसिएट प्रोफ़ेसर	लेक्चरर / असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
प्रॉस्थोडॉंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज	1	3	4
कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉंटिक्स	1	3	4
पेरियोडॉंटोलॉजी	1	2	2
ऑर्थोडॉंटिक्स एंड डेंटोफ़ेशियल ऑर्थोपीडिक्स	1	2	2
ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जरी	1	2	2
ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी	1	2	2
ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी	1	2	2
पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री	1	2	2
पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	1	2	2

विभाग / विशेषज्ञता	100 प्रवेशों की बुनियादी अवसंरचना वाले स्नातक संस्थान की यूनिट 1 की न्यूनतम संकाय आवश्यकता		
	प्रोफ़ेसर (एचओडी)	अध्येता (रीडर) / सह-प्रोफ़ेसर	लेक्चरर / असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
प्रॉस्थोडॉंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज	1	3	6

कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉण्टिक्स	1	3	6
पेरियोडॉन्टोलॉजी	1	3	3
ऑर्थोडॉण्टिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स	1	2	3
ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	1	3	3
ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी	1	2	3
ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी	1	2	3
पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री	1	2	3
पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	1	2	3

यूनिट 2 :-

प्रत्येक विभाग में यूनिट 1 की आवश्यकता के अलावा, निम्नांकित अतिरिक्त अध्यापन स्टाफ भी होगा।

प्रोफेसर	1
अध्येता (रीडर)/एसोसिएट प्रोफेसर	1
लेक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर	2

ध्यान दें :- जिस विभाग में उपर्युक्त स्टाफ स्वरूप न हो वह उस विशेषज्ञता में परास्नातक पाठ्यक्रम आरंभ नहीं करेगा।

16. अंशकालिक प्रोफेसर -

कम-से-कम चार घंटे प्रतिदिन या अस्सी घंटे प्रति माह दे सकने वाला अंशकालिक प्रोफेसर अपने अधीन केवल एक परास्नातक विद्यार्थी नामांकित कर सकता है एवं ऐसे अंशकालिक प्रोफेसर, नियमित अध्यापन स्टाफ को अनुमत अवकाशों के केवल 50% अवकाशों हेतु पात्र होंगे।

17. आयु, शैक्षिक अर्हताएं एवं अध्यापन का अनुभव -

क. विभाग प्रमुख :

किसी भारतीय विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी में स्नातक उपाधि साथ में परिषद की अनुशंसाओं पर मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमा, एवं प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष का अध्यापन अनुभव, एवं तालिका में दी गई योजना के अनुसार प्रकाशनों के लिए न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

ख. प्रोफेसर :

किसी भारतीय विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी में स्नातक उपाधि साथ में परिषद की अनुशंसाओं पर मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमा, एवं विशेषज्ञता में अध्येता (रीडर)/असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पाँच वर्षों का अध्यापन अनुभव, एवं तालिका में दी गई योजना के अनुसार प्रकाशनों के लिए न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

ग. अध्येता (रीडर)/एसोसिएट प्रोफेसर :

किसी भारतीय विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी में स्नातक उपाधि साथ में परिषद की अनुशंसाओं पर मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमा, एवं परास्नातक के बाद विशेषज्ञता में चार वर्षों का अध्यापन अनुभव, एवं तालिका में दी गई योजना के अनुसार प्रकाशनों के लिए न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

घ. लेक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर :

किसी भारतीय विश्वविद्यालय से डेंटल सर्जरी में स्नातक उपाधि साथ में परिषद की अनुशंसाओं पर विशेषज्ञता में मास्टर्स इन

डेंटल सर्जरी/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमा।

ध्यान दें :

1. समस्त अध्यापन स्टाफ़ पूर्णकालिक होगा।
2. जिन चिकित्सा महाविद्यालयों में दन्त पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहे हैं उनमें अर्जित अध्यापन अनुभव परास्नातक विद्यार्थियों को अध्यापन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। डेंटिस्ट्री में परास्नातक अर्हता रखने वाले दन्त अध्यापक, जो किसी चिकित्सा महाविद्यालय के दन्त विभाग से स्थानांतरित हो रहे हैं, उनको किसी दन्त महाविद्यालय या संस्थान में न्यूनतम तीन वर्षों का अध्यापन अनुभव पूर्ण करना होगा, तत्पश्चात ही उन्हें परास्नातक अध्यापक के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
3. अपवादस्वरूप मामलों में, कुल अध्यापन अनुभव के आधार पर आगे पदोन्नति देने के लिए, सरकारी दन्त महाविद्यालयों में अर्जित अध्यापन अनुभव पर विचार किया जा सकता है।
4. दन्त महाविद्यालय के अध्यक्ष (रीडर)/एसोसिएट प्रोफ़ेसर हर तीन वर्षों में एक बार अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5. विशेषज्ञता में परास्नातक अर्हता/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड का डिप्लोमा धारी एवं दन्त पाठ्यक्रमों में अध्यापन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ रेजिडेंट के पद को, लेक्चरर/असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के समकक्ष माना जा सकता है।
6. किसी निजी दन्त संस्थान में एक वर्ष से कम के अध्यापन अनुभव को परा-स्नातक संकाय के लिए प्रासंगिक नहीं माना जाएगा।
7. दन्त अध्यापक या संकाय-अध्यक्ष या प्रधानाचार्य, जो भी स्थिति होगी, के पद पर नियुक्त किए जाने या विस्तार दिए जाने या सेवा में पुनः नियुक्त किए जाने हेतु व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष होगी।

तालिका-1

	श्रेणी	अंक
	श्रेणी 1: (1) पबमेड – मेडलाइन में अनुक्रमित शोधपत्रिकाएं – कृपया यहां देखें – www.ncbi.nlm.nih.gov/gubmed (2) भारतीय दन्त परिषद द्वारा अनुमोदित भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय दन्त विशेषज्ञता संघों द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकाएं।	15
	श्रेणी 2: (1) दन्त उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों या दन्त उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित चिकित्सीय/दन्त शोधपत्रिकाएं (2) आईसीएमआर/इसी प्रकार के अन्य सरकारी निकायों द्वारा अनुमोदित मौलिक शोध/अध्ययन (3) संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित पाठ्य/संदर्भ पुस्तक के रचयिता (4) एमडीएस के बाद पीएचडी या इसी प्रकार की कोई अन्य अर्हता	10
	श्रेणी 3: (1) मानित विश्वविद्यालयों/दन्त संस्थानों/भारतीय दन्त संघ द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकाएं (2) पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों का योगदान	5

ध्यान दें :-

1. मौलिक शोध को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकाशन के लिए, पहले रचयिता (प्रधान रचयिता) को 100% अंक दिए जाएंगे और शेष रचयिताओं को 50% अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 5 सह-रचयिताओं पर विचार किया जाएगा।
2. मौलिक शोध के लिए सभी रचयिताओं को समान अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 6 रचयिताओं पर विचार किया जाएगा।

3. श्रेणी 3 में अंकों के आबंटन हेतु अधिकतम 3 प्रकाशनों पर विचार किया जाएगा।
4. टेबलॉइड/संस्मरणों/दन्त समाचार पत्रिकाओं/सम्मेलनों की कार्यवाहियों के सार/स्वीकृति पत्र आदि में प्रकाशन पर अंकों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक कुल स्कोर :	40 अंक
विभाग प्रमुख के लिए : प्रोफेसर : अध्येता	30 अंक
(रीडर)/सह-प्रोफेसर :	20 अंक

महत्वपूर्ण :

1. मान्यता प्राप्त परास्नातक अध्यापक का हर तीन वर्ष पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उसके पास उसके स्कोर में कम-से-कम 15 अतिरिक्त अंक होने चाहिए।
2. एक शोधपत्रिका समीक्षा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है जो विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध समस्त अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय दन्त शोधपत्रिकाओं को सूचीबद्ध करेगी। परिषद की वेबसाइट पर इस सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। यह समिति शोधपत्रिकाओं की सूची की वार्षिक समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी और वह विभिन्न शोधपत्रिकाओं के प्रकाशनों के स्तर की सतत निगरानी करेगी, एवं यदि शोधपत्रिका द्वारा उसका स्तर बनाए नहीं रखा जाता है तो प्रकाशनों की श्रेणियों का उन्नयन / अवनयन किया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा की समीक्षा कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी एवं कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

भाग-5

परीक्षाएं

18. परीक्षाएं —

(क) पात्रता :

अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नांकित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी।

- (i) उपस्थिति : प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान 80% उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
- (ii) प्रगति एवं आचरण : प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक वर्ष के दौरान संबंधित विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, शोधपत्रिका समीक्षा बैठकों, परिचर्चाओं, सम्मेलनों, केस प्रस्तुतियों, क्लीनिकों और प्रबोधात्मक व्याख्यानों में भाग लेगा।
- (iii) कार्य डायरी एवं कार्य पंजिका : प्रत्येक अभ्यर्थी विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता को अभिलेखित करने के लिए इन विनियमों के साथ दिए गए संलग्नक-1 के अनुसार एक कार्य डायरी एवं कार्य पंजिका बनाकर रखेगा। संस्थान के विभाग प्रमुख द्वारा कार्य डायरी एवं कार्य पंजी का सत्यापन एवं प्रमाणन किया जाएगा। संतोषजनक प्रगति का प्रमाणन कार्य डायरी एवं कार्य पंजी पर आधारित होता है।

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षा —

विश्वविद्यालय परीक्षा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं क्लीनिकल परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा एवं शिक्षण-शास्त्र शामिल होंगे।

(iv) सैद्धांतिक परीक्षा :

भाग-1: इसमें एक प्रश्नपत्र होगा।

पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर बेसिक साइंसेज में सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न पत्रों को तैयार करने एवं उनके मूल्यांकन कार्य संबंधित विभाग/विशेषज्ञता द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अंतिम (भाग-2) परीक्षा से कम-से-कम छः महीने पहले भाग-1 परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी होगी और बेसिक साइंसेज में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

भाग-2% इसमें तीन प्रश्नपत्र होंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

(v) प्रायोगिक एवं क्लीनिकल परीक्षा;

(vi) मौखिक परीक्षा; और

(vii) शिक्षण शास्त्र।

किसी द्वितीय विशेषज्ञता में अध्ययन की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी को उस विशेषज्ञता में तीन वर्षों की अवधि का पूरा पाठ्यक्रम करना होगा।

(ग) शोध—निबंध :

परास्नातक उपाधि परीक्षा दे रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, परीक्षा से कम-से-कम छः माह पहले, परीक्षा के अपने प्रपत्र के साथ, अपने गाइड के निर्देशन एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत स्वयं द्वारा रचित एक शोध—निबंध की चार टंकित प्रतियां जमा करेगा। इस प्रकार जमा किए गए शोध—निबंध को परीक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए संदर्भित किया जाएगा और परीक्षकों द्वारा उसे स्वीकार किया जाना, अभ्यर्थी को परीक्षा के लिखित भाग में बैठने की अनुमति दिए जाने की एक पूर्ववर्ती शर्त होगी।

बशर्ते कि जिस अभ्यर्थी के शोध—निबंध को परीक्षक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, पर जिसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, उसे नया शोध—निबंध प्रस्तुत किए बिना आगामी परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति होगी : बशर्ते यह भी कि यदि परीक्षक द्वारा शोध—निबंध अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो परीक्षक अभ्यर्थी को अस्वीकृति के कारण एवं सुधार हेतु सुझाव प्रदान करेंगे और वह अभ्यर्थी अपना शोध—निबंध परीक्षक के समक्ष पुनः प्रस्तुत करेगा जिसे अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने से पहले परीक्षक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(घ) क्लीनिकल/प्रायोगिक परीक्षा :

क्लीनिकल/प्रायोगिक परीक्षा को संचार, क्लीनिकल जांच, चिकित्सीय/दन्त कार्यविधियों या प्रेस्क्रिप्शन, एक्सरसाइज प्रेसक्रिप्शन, नवीनतम तकनीकों, मूल्यांकन और परिणामों की व्याख्या जैसे कौशलों में अभ्यर्थी के क्लीनिकल कौशल, प्रदर्शन एवं योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि अभ्यर्थी एक विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य कर सकें। संबद्धतादायी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी को विभिन्न क्लीनिकल कार्यविधियां निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हों।

सभी विशेषज्ञताओं में प्रायोगिक/क्लीनिकल परीक्षा छः अभ्यर्थियों के लिए दो दिनों में संचालित की जाएगी :

बशर्ते कि यदि प्रायोगिक/क्लीनिकल परीक्षा दो दिनों में पूर्ण नहीं हो पाती है तो उसे एक दिन का विस्तार दिया जा सकता है।

(ड.) मौखिक परीक्षा :

मौखिक परीक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान की गहराई, तर्कशक्ति, आत्मविश्वास एवं मौखिक संचार कौशलों के आकलन पर लक्षित है।

(च) परीक्षा की योजना :

सैद्धांतिक : भाग—1: बेसिक साइंसेज प्रश्नपत्र — 100 अंक

भाग—2: प्रश्नपत्र—1, प्रश्नपत्र—2 एवं प्रश्नपत्र—3 — 300 अंक (प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 100 अंक)

लिखित परीक्षा में तीन घंटों की अवधि का बेसिक साइंसेज प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र—1) होगा और इसे एमओएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के समापन पर संचालित किया जाना चाहिए। भाग—2 परीक्षा एमओएस पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के समापन पर संचालित की जाएगी। भाग—2 परीक्षा में प्रश्नपत्र—1, प्रश्नपत्र—2 और प्रश्नपत्र—3 होंगे जिनमें से प्रत्येक तीन घंटे की अवधि का होगा। प्रश्नपत्र—1 और प्रश्नपत्र—2 में दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के लिए 25 अंक होंगे और पाँच प्रश्न 10 अंक प्रत्येक वाले होंगे। प्रश्नपत्र—3 निबंधों पर होगा। प्रश्नपत्र—3 में तीन प्रश्न दिए जाएंगे और विद्यार्थी को किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। किसी भी या सभी प्रश्नपत्रों में हालिया प्रगति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए टॉपिकों का वितरण निम्नवत होगा :

भाग—1: एप्लाइड बेसिक साइंसेज : एप्लाइड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रीशन एंड बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, एप्लाइड फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स। एप्लाइड डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी, एडल्ट एंड जेरियाट्रिक सायकोलॉजी। एप्लाइड डेंटल मटीरियल्स।

भाग-2:

प्रश्नपत्र-1 रिमूवेबल प्रॉस्थोडोंटिक्स एंड इम्प्लांट सपोर्टेड प्रॉस्थोसिस (इम्प्लांटोलॉजी), जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री एवं क्रोनियो फेशियल प्रॉस्थोडोंटिक्स।

प्रश्नपत्र-2 फिक्स्ड प्रॉस्थोडोंटिक्स, ऑक्लुज़न, टीएमजे तथा एस्थेटिक्स। निबंध

प्रश्नपत्र-3

*विभिन्न प्रश्नपत्रों को निर्धारित किए गए टॉपिकों का मूल्यांकन सामान्यतः उन्हीं अनुभागों के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि, विषय का सख्त विभाजन संभव नहीं भी हो सकता है और कुछ टॉपिकों की परस्पर-व्याप्ति अवश्यसंभावी है। विद्यार्थियों को परस्पर-व्याप्त टॉपिकों के उत्तर देने के लिए तैयारी करनी चाहिए।

(छ) अंकों का वितरण :

सैद्धांतिक : (योग 400 अंक)

(1) भाग 1 विश्वविद्यालय परीक्षा (100 अंक):—

10 अंक प्रत्येक वाले 10 प्रश्न होंगे (कुल 100 अंक)।

(2) भाग 2 (100 अंक के 3 प्रश्नपत्र):—

(i) प्रश्नपत्र-1: 25 अंक प्रत्येक वाले दो दीर्घ निबंध प्रश्न एवं 10 अंक प्रत्येक वाले 5 लघु निबंध प्रश्न। (कुल 100 अंक)

(ii) प्रश्नपत्र-2: 25 अंक प्रत्येक वाले दो दीर्घ निबंध प्रश्न एवं 10 अंक प्रत्येक वाले 5 लघु निबंध प्रश्न। (कुल 100 अंक)

(iii) प्रश्नपत्र-3: 3 निबंध प्रश्नों में से 2 (50 ग 2 = 100 अंक)

प्रायोगिक एवं क्लीनिकल परीक्षा : 200 अंक

मौखिक परीक्षा और शिक्षणशास्त्र : 100 अंक

19. परीक्षक:

भाग 1: तीन विद्यार्थियों के लिए एक आंतरिक और एक बाह्य परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति संबद्धतादायी विश्वविद्यालय द्वारा उसी की विशेषज्ञता वाली उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु की जाएगी। हालांकि, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ परीक्षकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

भाग 2: प्रत्येक विषय में चार परीक्षक होंगे। उनमें से दो (50:) बाह्य परीक्षक होंगे एवं दो (50:) आंतरिक परीक्षक होंगे। दोनों बाह्य परीक्षकों को संबद्धतादायी विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए और उनमें से कम-से-कम एक को किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से होना चाहिए।

20. परीक्षकों की अर्हता एवं उनका अनुभव :

परीक्षक की नियुक्ति के लिए अर्हता एवं अध्यापन अनुभव, निम्नवत होगा :—

(i) उसके पास किसी परास्नातक उपाधि कार्यक्रम में प्रोफेसर की अर्हता एवं अनुभव होगा;

(ii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो विषय में नियमित परास्नातक अध्यापक नहीं है;

(iii) विषय का आंतरिक परीक्षक उसी शैक्षणिक वर्ष में किसी महाविद्यालय में बाह्य परीक्षकत्व स्वीकार नहीं करेगा;

(iv) कोई भी व्यक्ति लगातार दो वर्षों से अधिक के लिए एक ही संस्थान में बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि बीच में एक वर्ष का अंतराल है तो उस व्यक्ति को पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

21. परीक्षा केंद्र :

(1) जब विश्वविद्यालय परीक्षा उसी शहर या कस्बे में संचालित की जा रही हो जहां उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक से अधिक परास्नातक संस्थान हों, तो विश्वविद्यालय द्वारा एक मुख्य परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा और शहर के उन सभी परास्नातक संस्थानों के सभी परास्नातक विद्यार्थी उसी केंद्र पर परीक्षा देंगे : बशर्ते कि क्लीनिकल एवं मौखिक परीक्षा उनके संस्थानों में संचालित की जाएगी।

(2) परीक्षा केंद्र के रूप में संस्थानों का बारी-बारी से चयन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार होगा।

22. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन :

भाग-1: उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, बाह्य परीक्षक/कों द्वारा किया जाएगा

भाग-2: उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चार परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें दो आंतरिक एवं दो बाह्य परीक्षक होंगे और औसत अंकों की गणना की जाएगी।

23. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र हेतु मानदंड :

विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अभ्यर्थी को दोनों परीक्षाओं यथा सैद्धांतिक परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा सहित प्रायोगिक/क्लीनिकल परीक्षा में स्वतंत्र रूप से, कुल आबंटित अंकों का 50: प्राप्त करना होगा (भाग 1 परीक्षा में 100 में से 50 अंक एवं भाग 2 परीक्षा में सैद्धांतिक परीक्षा में 300 में से 150 अंक तथा क्लीनिकल परीक्षा + मौखिक परीक्षा मिलाकर 300 में से 150 अंक)। ऊपर वर्णित अनुसार 50: से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

परीक्षा में सफल घोषित हुए अभ्यर्थी को संबंधित विशेषज्ञता में मास्टर ऑफ़ डेंटल सर्जरी की उपाधि प्रदान की जाएगी।

भाग-6

पाठ्य विवरण (सिलेबस)

परास्नातक पाठ्यक्रम के सिलेबस में एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ और संबंधित विशेषज्ञता के विषय, दोनों शामिल होते हैं। एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ का सिलेबस, विशेषज्ञता के अनुसार अलग-अलग होगा, इसी प्रकार, अभ्यर्थी भी अपनी-अपनी विशेषज्ञता से संबंधित अन्य विषयों में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करेंगे।

24. विभिन्न विशेषज्ञताओं में सिलेबस का वितरण :

(i) प्रॉस्थोडॉंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज

प्रश्नपत्र-1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ : एप्लाइड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रीशन एंड बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, एप्लाइड फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स। एप्लाइड डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी, एडल्ट एंड जेरियाट्रिक सायकोलॉजी। एप्लाइड डेंटल मटीरियल्स।

भाग-2:

प्रश्नपत्र-1 रिमूवेबल प्रॉस्थोडॉंटिक्स एंड इम्प्लान्ट सपोर्टेड प्रॉस्थोसिस (इम्प्लान्टोलॉजी), जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री एवं क्रैनियो फेशियल प्रॉस्थोडॉंटिक्स।

प्रश्नपत्र-2 फिक्स्ड प्रॉस्थोडॉंटिक्स, ऑक्लुज़न, टीएमजे तथा एस्थेटिक्स।

प्रश्नपत्र-3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(ii) पेरियोडॉंटोलॉजी

भाग-1

प्रश्नपत्र-1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स।

भाग-2

प्रश्नपत्र-1 नॉर्मल पेरियोडॉंटल स्ट्रक्चर, ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ़ पेरियोडॉंटल डिजीज़, एपिडेमियोलॉजी एंड रिसेट्टेड टू पेरियोडॉंटिक्स,

प्रश्नपत्र-2 पेरियोडॉंटल डाइग्नोसिस, थेरेपी एंड ओरल इम्प्लान्टोलॉजी

प्रश्नपत्र-3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(iii) ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जरी**भाग—1**

प्रश्नपत्र—1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स।

भाग—2:

प्रश्नपत्र—1 माइनर ओरल सर्जरी एंड ट्रॉमा,

प्रश्नपत्र—2 मैक्सिलो—फ़ेशियल सर्जरी

प्रश्नपत्र—3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(iv) कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉन्टिक्स

प्रश्नपत्र—1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साथ में ओरल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोस्टेटिस्टिक्स एवं रिसर्च मेथडोलॉजी तथा एप्लाइड डेंटल मटीरियल्स।

भाग—2

प्रश्नपत्र—1 कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री

प्रश्नपत्र—2 एंडोडॉन्टिक्स

प्रश्नपत्र—3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(v) ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड डेंटोफ़ेशियल ऑर्थोपीडिक्स**भाग—1**

प्रश्नपत्र—1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेंटल मटीरियल्स, जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एप्लाइड रिसर्च मेथडोलॉजी, बायो—स्टेटिस्टिक्स एवं एप्लाइड फार्माकोलॉजी।

भाग—2

प्रश्नपत्र—1 ऑर्थोडॉन्टिक हिस्टरी, कन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्लुज़न एंड एस्थेटिक्स, चाइल्ड एंड एडल्ट सायकोलॉजी, एटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मालऑक्लुज़न, डेंटोफ़ेशियल एनॉमलीज़, डाइग्नोस्टिक्स प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग इन ऑर्थोडॉन्टिक्स, प्रेक्टिस मैनेजमेंट इन ऑर्थोडॉन्टिक्स।

प्रश्नपत्र—2 क्लीनिकल ऑर्थोडॉन्टिक्स

प्रश्नपत्र—3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(vi) ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी :**भाग—1**

प्रश्नपत्र—1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी (जनरल एंड ओरल), सेल बायोलॉजी, जनरल हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल पैथोलॉजी, जनरल एंड सिस्टेमिक माइक्रोबायोलॉजी, वाइरोलॉजी, मायकोलॉजी, बेसिक इम्यूनोलॉजी, ओरल बायोलॉजी (ओरल एंड डेंटल हिस्टोलॉजी), बायोस्टेटिस्टिक्स एवं रिसर्च मेथडोलॉजी।

भाग—2:

प्रश्नपत्र—1 ओरल पैथोलॉजी, ओरल माइक्रोबायोलॉजी एवं इम्यूनोलॉजी तथा फ़ोरेंसिक ओडॉन्टोलॉजी।

प्रश्नपत्र—2 प्रयोगशाला तकनीकें एवं निदान (डाइग्नोसिस) तथा ओरल ऑकोलॉजी वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

प्रश्नपत्र—3

(vii) पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री**भाग—1**

प्रश्नपत्र—1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ : एप्लाइड एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, एप्लाइड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एप्लाइड पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, फिजिकल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एप्लाइड फार्माकोलॉजी एवं रिसर्च मेथडोलॉजी तथा बायोस्टेटिस्टिक्स।

भाग—2:

प्रश्नपत्र 1 पब्लिक हेल्थ डेंटल

प्रश्नपत्र 2 पब्लिक हेल्थ

प्रश्नपत्र 3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(viii) पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री**भाग—1**

प्रश्नपत्र 1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेंटल प्लाक, जेनेटिक्स।

भाग—2:

प्रश्नपत्र—1 क्लिनिकल पीडोडॉटिक्स

प्रश्नपत्र—2 प्रीवेंटिव एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री एज एप्लाइड टू पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री

प्रश्नपत्र—3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

(ix) ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी**भाग—1**

प्रश्नपत्र 1 एप्लाइड बेसिक साइंसेज़ : एप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी एवं बायोस्टेटिस्टिक्स।

भाग—2:

प्रश्नपत्र—1 ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजी

प्रश्नपत्र—2 ओरल मेडिसिन, थेराप्यूटिक्स एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन्स।

प्रश्नपत्र—3 वर्णनात्मक एवं विश्लेषण प्रकार के प्रश्न

अध्याय — 7**पाठ्यचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य****25 लक्ष्य —**

विभिन्न विशेषज्ञताओं में परास्नातक प्रशिक्षण का लक्ष्य ऐसे डेंटल सर्जरी स्नातकों को प्रशिक्षित करना है जो,

- (i) संबंधित विशेषज्ञता का दक्ष, प्रभावी तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं कौशल द्वारा समर्थित अभ्यास करेंगे;
- (ii) समानुभूति एवं देखभाल करने वाला रवैया व्यवहार में लाएंगे और उच्च नैतिक मानक कायम रखेंगे;
- (iii) चाहे अध्यापन हो या अभ्यास, दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता तथा संबंधित विशेषज्ञताओं में पेशेवर शिक्षा जारी रखने में गहरी रुचि दर्शाते रहेंगे;
- (iv) किसी भी शिक्षार्थी, कनिष्ठ या सहकर्मी के साथ ज्ञान एवं कौशल साझा करने को तैयार रहेंगे;

- (v) सर्वाधिक तार्किक पद्धति अपनाने के लिए, विभिन्न अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के समालोचनात्मक विश्लेषण एवं मूल्यांकन की क्षमता विकसित करेंगे।

26 उद्देश्य —

परास्नातक प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थी को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है जिससे रुचि के सामान्य एवं विशेष, दोनों क्षेत्रों में उच्चतर सक्षमता सुनिश्चित हो और वह अध्यापन, शोध और विशेषज्ञता अभ्यास के क्षेत्र में करियर के लिए तैयार हो जाए। विद्यार्थी को विषय में उच्च कोटि की क्लिनिकल दक्षता प्राप्त करनी चाहिए और संबंधित क्षेत्र में शोध एवं उसकी क्रियापद्धति में सक्षमता विकसित करनी चाहिए।

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने तक प्राप्त कर लिए जाने वाले उद्देश्यों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- (क) ज्ञान (संज्ञानात्मक क्षेत्र)
- (ख) कौशल (मनो-गत्यात्मक क्षेत्र)
- (ग) मानवीय मूल्य, नैतिक अभ्यास तथा संचार योग्यताएं
- (क) ज्ञान —
- (i) विशेषज्ञता हेतु प्रासंगिक बेसिक साइंसेज की समझ प्रदर्शित करना;
- (ii) वयस्कों और बच्चों में आम समस्याओं की एटियोलॉजी (हेतुविज्ञान), पैथोफिजियोलॉजी (विकृतिशरीरक्रियाविज्ञान), प्रिंसिपल्स ऑफ़ डाइग्नोसिस एंड मेनेजमेंट (निदान और प्रबंधन के सिद्धांत) का वर्णन करना;
- (iii) किसी केस विशेष के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं भावनात्मक निर्धारकों की पहचान करना और उपचार की योजना बनाने में उन्हें शामिल करना;
- (iv) ऐसी (रोग-)स्थितियों को पहचानना जो विशेषज्ञता/सक्षमता के क्षेत्र से बाहर की हो सकती हैं, और उन्हें संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजना;
- (v) स्वाध्याय द्वारा और विशेषज्ञता से संबंधित पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेकर ज्ञान अद्यतन करना;
- (vi) विभिन्न वैज्ञानिक समारोहों/सम्मेलनों में कार्य को प्रकाशित या प्रस्तुत करने के लक्ष्य के साथ संपरीक्षा (ऑडिट) करना, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा मूलभूत एवं क्लिनिकल, दोनों प्रकार का शोध करना;
- (ख) कौशल :
- (i) उचित क्लिनिकल इतिहास प्राप्त करना, रोगी की जाँच करना, आवश्यक नैदानिक कार्यविधियां संपादित करना और प्रासंगिक परीक्षणों का आदेश देना एवं उनका अर्थ समझना ताकि (रोग-)स्थिति के संबंध में एक उचित निदान (डाइग्नोसिस) तक पहुंचा जा सके;
- (ii) विशेषज्ञता में जो आवश्यक हैं ऐसी विभिन्न कार्यविधियां करने के लिए पर्याप्त कौशल एवं सक्षमता प्राप्त करना;
- (ग) मानवीय मूल्य, नैतिक अभ्यास तथा संचार योग्यताएं।
- (i) अभ्यास के सभी पहलुओं में नैतिक सिद्धांत अपनाना;
- (ii) पेशेवर ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना;
- (iii) रोगी सामाजिक स्थिति, जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना रोगी को देखभाल देना;
- (iv) प्रबंधन हेतु उपलब्ध उपचार विकल्प समझाने के लिए संचार कौशल विकसित करना; रोगी से एक वास्तविक सूचित सहमति प्राप्त करना;
- (v) नेतृत्व प्रदान करना और सौहार्दपूर्ण कार्य परिवेश में अपनी टीम से उसका सर्वश्रेष्ठ कार्य करवाना;
- (vi) मानव या पशु शोध करते समय उच्च सदाचारी व नैतिक मानकों को व्यवहार में लाना;
- (vii) विनम्र रहना और अपने ज्ञान एवं कौशल की सीमाओं को स्वीकारना और आवश्यकता होने पर सहकर्मियों से सहायता मांगना;

(viii) रोगी के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों, जिनमें रोगी का सूचना का अधिकार एवं द्वितीय मत पाने का अधिकार शामिल है, का सम्मान करना।

भाग-8 विशेषज्ञताएं

27. परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जिन विशेषज्ञताओं का अनुसरण किया जाएगा वे निम्नवत वर्णित हैं :-

(i) प्रॉस्थोडॉटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज :

प्रॉस्थोडॉटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, डेंटल आर्ट एंड साइंस की वह शाखा है जो स्थायी या हटाए जा सकने वाले कृत्रिम स्थानापन्नों का उपयोग करते हुए अनुपस्थित या क्षत प्राकृतिक दाँतों व संबंधित ऊतकों के प्रतिस्थापन द्वारा मुखीय कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, सुविधा एवं रूप-रंग की बहाली और उन्हें कायम रखने से संबंध रखती है।

(ii) पेरियोडॉटोलॉजी :

पेरियोडॉटोलॉजी वह विज्ञान है जो दाँतों की वेष्टन और आधार संरचनाओं और म्यूकस झिल्ली के स्वास्थ्य एवं रोगों से संबंधित है।

(iii) ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी :

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मनुष्य के जबड़ों और संबंधित मुखीय व चेहरे की संरचनाओं के रोगों, चोटों तथा दोषों के निदान और सर्जिकल व एडजंक्टिव उपचार से संबंधित है।

(iv) कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉटिक्स :

कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री कठोर ऊतकों और दाँत के पल्प के रोगों एवं चोटों और संबंधित पेरिएपिकल क्षतियों की रोकथाम और उपचार से तथा, स्वरूप, कार्यक्षमता एवं सुंदरता की दृष्टि से उन दाँतों को पूर्ववत करने से संबंधित है।

(v) ऑर्थोडॉटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स :

ऑर्थोडॉटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स ओरल एनामलीज़ (मुख की विसंगतियों) और मालऑक्लुज़न (दाँतों की ग़लत स्थिति) की रोकथाम एवं सुधार से और, इसमें शामिल संरचनाओं में इस प्रकार तालमेल बैठाने से संबंधित है जिससे दाँतों की यंत्रावली सामान्य ढंग से कार्य करे।

(vi) ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी मुखीय रोगों की प्रकृति, उनके कारणों, प्रक्रियाओं और प्रभावों से संबंधित है। यह मुखीय रोगों के क्लीनिकल प्रकटन और उन रोगों से संबंधित शरीरक्रियावैज्ञानिक एवं शरीररचना संबंधी परिवर्तनों के बीच संबंध स्थापित करती है।

(vii) पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री

पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से दन्त रोगों की रोकथाम व नियंत्रण करने और दन्त स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कला और विज्ञान है।

(viii) पीडियाट्रिक एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री

पीडियाट्रिक एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री बाल्यकाल में हो सकने वाले मुखीय एवं दन्त रोगों की रोकथाम व उपचार से संबंध रखती है।

(ix) ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी

ओरल मेडिसिन, डेंटिस्ट्री की वह विशेषज्ञता है जो मुखीय ऊतकों के स्थानीय और संघटनात्मक उद्गम वाले रोगों की पहचान एवं उनके चिकित्सीय प्रबंधन में उपयोगी मूलभूत नैदानिक कार्यविधियों और तकनीकों से संबंध रखती है।

रेडियोलॉजी एक विज्ञान है जो एक्स-रे और ओरोफेशियल रोगों के संबंध में रोगोपचार व निदान में उनके उपयोगों से संबंध रखता है।

28. क्लीनिकल सामग्री –

परास्नातक पाठ्यक्रम की प्रत्येक विशेषज्ञता में क्लीनिकल सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता का वर्णन इन विनियमों की अनुसूची-8 में किया गया है।

अनुसूची-1

[विनियम 11 के उप-विनियम (2) का खंड (ख) देखें]

शोधपत्रिका समीक्षा प्रस्तुतियों के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची।

प्रशिक्षु का नाम :

तिथि

संकाय सदस्य / प्रेक्षक का नाम :

क्र. सं.	प्रस्तुति के दौरान प्रेक्षण हेतु बिंदु	खराब	औसत से नीचे	औसत	अच्छा	बहुत अधिक अच्छा
		0	1	2	3	4
1.	चुना गया लेख ... था					
2.	अभ्यर्थी द्वारा शोधपत्र के विस्तार क्षेत्र और उद्देश्यों को समझे जाने की सीमा।					
3.	क्या पार-संदर्भ (क्रॉस-रिफरेंस) से परामर्श किया गया था।					
4.	क्या अन्य प्रासंगिक प्रकाशनों से परामर्श किया गया था।					
5.	शोधपत्र / विषय पर किए गए प्रश्नों पर उत्तर देने की योग्यता।					
6.	प्रयुक्त ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्रियां।					
7.	शोधपत्र के पक्ष में बोलने की योग्यता।					
8.	प्रस्तुति की स्पष्टता।					
9.	अन्य कोई प्रेक्षण।					
	कुल स्कोर					

अनुसूची-2

[विनियम 11 के उप-विनियम (2) का खंड (ग) देखें]

संगोष्ठी प्रस्तुतियों के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची

प्रशिक्षु का नाम :

तिथि :

संकाय सदस्य / प्रेक्षक का नाम :

क्र. सं.	प्रस्तुति के दौरान प्रेक्षण हेतु बिंदु	खराब	औसत से नीचे	औसत	अच्छा	बहुत अच्छा
		0	1	2	3	4
1.	पूर्णता एवं तैयारी।					
2.	प्रस्तुति की स्पष्टता।					

3.	विषय की समझ।					
4.	क्या अन्य प्रासंगिक प्रकाशनों से परामर्श किया गया था।					
5.	क्या पार-संदर्भ (क्रॉस-रिफरेंस) से परामर्श किया गया था।					
6.	प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता।					
7.	समय निर्धारण।					
8.	ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्रियों का उपयुक्त उपयोग।					
9.	संपूर्ण प्रदर्शन।					
10.	अन्य कोई प्रेक्षण।					
	कुल स्कोर					

अनुसूची-3

[विनियम 11 के उप-विनियम (2) का खंड (ड.) देखें]

(क) बहिरोगी विभाग में किए गए क्लीनिकल कार्य के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची (संबंधित यूनिट प्रमुखों द्वारा माह में एक बार पूर्ण की जाएगी, अन्य विभागों में पोस्टिंग शामिल)

प्रशिक्षु का नाम :

तिथि :

यूनिट प्रमुख का नाम :

क्र. सं.	प्रस्तुति के दौरान प्रेक्षण हेतु बिंदु	खराब 0	औसत से नीचे 1	औसत 2	अच्छा 3	बहुत अच्छा 4
1.	नियमित उपस्थिति।					
2.	समयबद्धता।					
3.	सहकर्मियों और सहयोगी स्टाफ के साथ परस्पर व्यवहार/बातचीत।					
4.	केस अभिलेख बना कर रखना।					
5.	केस प्रस्तुति।					
6.	जांच-पड़ताल का कार्य।					
7.	चेयरसाइड शिष्टाचार।					
8.	रोगियों के साथ घनिष्टता।					
9.	क्लीनिकल कार्य की संपूर्ण गुणवत्ता।					
	कुल स्कोर					

(ख) क्लीनिकल केस प्रस्तुति का मूल्यांकन

प्रशिक्षु का नाम :

तिथि :

संकाय सदस्य/प्रेक्षक का नाम :

क्र. सं.	प्रस्तुति के दौरान प्रेक्षण हेतु बिंदु	खराब 0	औसत से नीचे 1	औसत 2	अच्छा 3	बहुत अधिक अच्छा 4
1.	इतिहास की पूर्णता।					
2.	क्या सभी प्रासंगिक बिंदु पूछे गए।					

3.	प्रस्तुति की स्पष्टता।					
4.	तार्किक क्रम।					
5.	सभी सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं का उल्लेख किया।					
6.	सामान्य शारीरिक जांच की शुद्धता।					
7.	निदान : क्या यह इतिहास और जांच-परिणामों/निष्कर्षों का तार्किक ढंग से अनुसरण करता है।					
8.	आवश्यक परीक्षण/जांच।					
	संपूर्ण सूची।					
	प्रासंगिक क्रम।					
	जांच/परीक्षणों का अर्थ समझना।					
9.	क्या यह इतिहास और जांच-परिणामों/निष्कर्षों का तार्किक ढंग से अनुसरण करता है इस प्रश्न पर प्रतिक्रिया देने की योग्यता।					
10.	निदान सही सिद्ध करने की योग्यता।					
11.	विभेदक निदान (डिफरेंशियल डाइग्नोसिस) का औचित्य सिद्ध करने की योग्यता।					
12.	अन्य।					
	महायोग					

ध्यान दें : प्रत्येक संकाय सदस्य के लिए कृपया अलग शीट का उपयोग करें।

अनुसूची-4

[विनियम 11 के उप-विनियम (2) का खंड (ज) देखें]

अध्यापन कौशल के मूल्यांकन हेतु आदर्श जांचसूची

प्रशिक्षु का नाम :

तिथि :

संकाय सदस्य / प्रेक्षक का नाम :

क्र. सं.	प्रेक्षण हेतु बिंदु	खराब 0	औसत से नीचे 1	औसत 2	अच्छा 3	बहुत अधिक अच्छा 4
1.	बातचीत के उद्देश्य को रोगी तक पहुंचाना।					
2.	विषय में श्रोताओं की रुचि उत्पन्न करता है।					
3.	परिचय।					
4.	विचारों का क्रम।					
5.	व्यावहारिक उदाहरणों और / या दृष्टान्तों का उपयोग।					
6.	बोलने की शैली (आनंदमय, नीरस, आदि, निर्दिष्ट करें)।					
7.	श्रोताओं की सहभागिता पाने का प्रयास करता है।					
8.	अंत में मुख्य बिंदुओं का सारांश।					
9.	प्रश्न पूछता है।					
10.	श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।					
11.	अपने श्रोताओं के साथ वक्ता की घनिष्टता।					

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर

ध्यान दें : अध्ययन पाठ्यक्रम संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के प्रमाणन के लिए उपस्थिति की आवश्यकता के साथ-साथ, कार्यपंजी एवं उपर्युक्त समग्र आकलन शीट को आधार माना जाएगा।

संकेत :

संकाय सदस्य : आकलन करने वाले संकाय सदस्य का नाम।

माध्य स्कोर : जांचसूचियों के सभी स्कोरों का योग।

क. ख.,.... : प्रशिक्षु का नाम।

अनुसूची-7

[विनियम 14 के उप-विनियम (2) देखें]

उपकरण विभाग : प्रॉस्थोडॉटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा		उपलब्धता
1.	इलेक्ट्रिकल डेंटल चेयर एवं यूनिट	शैडोलैस लैंप, स्पिटून, 3 वे सिरिज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और मोटराइज्ड सक्शन, माइक्रोमोटर एवं एयरोटर अटेचमेंट व हैंडपीसों से युक्त।	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत दो चेयर।		
			1 यूनिट	2 यूनिट	
2.	आर्टिकुलेटर – सेमी एडजस्टेबल / एडजस्टेबल, साथ में फेस बो		6	12	
3.	माइक्रोमोटर – (लैब टाइप, दीवार से अटेच (फिक्स) भी किया जा सकता है)		2	4	
4.	अल्ट्रासोनिक स्केलर		2	2	
5.	लाइट क्योर्स		2	2	
6.	गर्म वायु अवन		1	1	
7.	ऑटोक्लेव		2	2	
8.	सर्वेयर		2	2	
9.	प्रशीतित्र (रेफ्रिजरेटर)		1	1	
10.	एक्स-रे व्यूअर		1	2	
11.	न्यूमेटिक, क्राउन ब्रिज रिमूवर		2	3	
12.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		1	2	
13.	इंट्रा-ओरल कैमरा		1	1	
14.	डिजिटल एसएलआर कैमरा		1	1	
15.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्केनर		1	1	
16.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
	प्रॉस्थेटिक्स हेतु क्लीनिकल लैब				

1.	प्लास्टर डिस्पेंसर		2	2	
2.	मॉडल ट्रिमर, कार्बोरेंडम डिस्क वाला		1	2	
3.	मॉडल ट्रिमर, डायमंड डिस्क वाला		1	2	
4.	हाई स्पीड लेद		2	3	
5.	वाइब्रेटर		2	4	
6.	एक्रिलाइज़र		1	2	
7.	डीवैक्सिंग यूनिट		1	2	
8.	हायड्रॉलिक प्रेस		1	1	
9.	मेकेनिकल प्रेस		1	1	
10.	वैक्यूम मिक्सिंग मशीन		1	1	
11.	माइक्रो मोटर लैब टाइप		2	3	
12.	क्योरिंग प्रेशर पॉट		1	1	
13.	प्रेसर मोल्डिंग मशीन		1	1	
क्रोम – कोबाल्ट लैब उपकरण					
1.	डुप्लिकेटर		1	1	
2.	पिंडेक्स सिस्टम		1	1	
3.	बर्न-आउट फर्नेस		1	1	
4.	वेल्डर		1	1	
5.	सैंडब्लास्टर	माइक्रो एवं मैक्रो	1	1	
6.	इलेक्ट्रो-पॉलिशर		1	1	
7.	मॉडल ट्रिमर, कार्बोरेंडम डिस्क वाला		1	1	
8.	मॉडल ट्रिमर, डायमंड डिस्क वाला		1	1	
9.	मॉडल ट्रिमर, डबल डिस्क वाला (एक कार्बोरेंडम और एक डायमंड डिस्क)		1	1	
10.	कार्स्टिंग मशीन, सेफ्टी डोर क्लोजर वाली मोटर कास्ट, रेगुलेटर वाली गैस ब्लो टॉर्च		1	1	
11.	डीवैक्सिंग फर्नेस		1	1	
	वैक्यूम पंप सहित इंडक्शन कार्स्टिंग मशीन, जो टाइटेनियम क्रोम कोबाल्ट प्रेसिजन मेटल की ढलाई में समर्थ हो		1	1	
12.	केबल के सोल्डरिंग अटेचमेंट के साथ स्पॉट वेल्डर		1	1	

13.	स्टीम क्लीनर		1	1	
14.	वैक्यूम मिक्सिंग मशीन		1	1	
15.	स्पिंडल ग्राइंडर 24,000 आरपीएम, वैक्यूम सक्शन के साथ		1	1	
16.	वैक्स हीटर		2	3	
17.	वैक्स कार्बर (फुल पीकेटी सेट)		2	3	
18.	पेषण (मिलिंग) मशीन		1	1	
19.	स्टीरियो माइक्रोस्कोप		1	1	
20.	मैग्निफाइंग वर्क लैंप		1	1	
21.	हैवी ड्यूटी लेद, सक्शन के साथ		1	1	
22.	प्रीहीटिंग फर्नेस		1	1	
23.	ड्राइ मॉडल ट्रिमर		1	1	
24.	डाई कटिंग मशीन		1	2	
25.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर		1	1	
26.	कंपोजिट क्योरिंग यूनिट		1	1	
सिरेमिक लैब उपकरण					
1.	फुली प्रोग्रामेबल पोर्सीलेन फर्नेस, वैक्यूम पंप के साथ		1	1	
2.	सिरेमिक किट (उपकरण)		3	3	
3.	सिरेमिक मटीरियल्स (किट)		1	1	
4.	सिरेमिक पॉलिशिंग किट		2	2	
इम्प्लांट उपकरण					
1.	इलेक्ट्रिकल डेंटल चेयर एवं यूनिट		1	1	
2.	फिजियो डिस्पेंसर		1	1	
3.	इम्प्लांट किट	न्यूनतम 2 सिस्टम	2	2	
4.	इम्प्लांट		10	10	
5.	प्रोस्थेटिक कंपोनेंट		10	10	
6.	यूनिट माउंट लाइट क्योर		1	2	
7.	एक्स-रे व्यूअर		1	2	

8.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		1	2	
9.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता का		1	1	
10.	सभी अनुशासित चक्रों के लिए प्रोग्रामेबल ऑटोक्लेव		1	2	
11.	एक्स-रे मशीन, आरबीजी के साथ		1	1	
12.	रेफ्रिजरेटर		1	1	
13.	सर्जिकल किट/प्रोस्थेटिक किट		2	2	
14.	एजुकेटिंग मॉडल		1	1	
15.	इम्प्लान्ट हटाने के उपकरण		1	1	

विभाग: पेरियोडॉटोलॉजी

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा		उपलब्धता
1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलेस लैम्प, स्पिटून, 3 वे सिरिज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और मोटराइज्ड सक्शन, माइक्रोमोटर अटेचमेंट, साथ में कौट्रा एंगल हैंडपीस, एयरोटर अटेचमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलर (पीजो), साथ में डिटेचेबल ऑटोक्लेवेबल हैंड पीस	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत दो चेयर।		
			1 यूनिट	2 यूनिट	
2.	ऑटो क्लेव (फुली ऑटोमेटिक) फ्रंट लोडिंग		1	2	
3.	स्टील बिन		4	6	
4.	एयरोटर हैंड पीस		2	2	
5.	यूवी चैम्बर		1	1	
6.	फॉर्मोलिन चैम्बर		1	1	
7.	डबल्यू.एच.ओ. प्रोब		2	2	
8.	नेबर्स प्रोब		2	2	
9.	विलियम्स प्रोब		2	2	

10.	यूएनसी-15 प्रोब		4	4	
11.	गोल्ड मैन फॉक्स प्रोब		1	1	
12.	प्रेसर सेंसिटिव प्रोब		1	1	
13.	मार्क्विस कलर कोडेड प्रोब		1	1	
14.	सुप्रा जिजिवल स्केलर्स	सेट	2	2	
15.	सब जिजिवल स्केलर	सेट	2	2	
16.	अरकंसास शार्पनिंग स्टोन		1	1	
सर्जिकल उपकरण					
1.	रुटीन सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट किट (बेनक्विस पेरियोस्टील एलिवेटर, पेरियोटोम)	सेट	2	3	
2.	सर्जिकल ट्रॉली		6	6	
3.	एक्स-रे व्यूअर		1	2	
4.	सर्जिकल कैसेट, साथ में स्टरिलाइजेशन पाउच		4	6	
5.	इलेक्ट्रो सर्जरी यूनिट		1	1	
विशेष सर्जिकल उपकरण					
1.	किर्कलैंड्स नाइफ़	सेट	1	1	
2.	ऑर्बन्स नाइफ़	सेट	1	1	
3.	पैक्वेट ब्लेड हैंडल		1	1	
4.	क्रैन कपलन पॉकेट मार्कर	सेट	1	1	
5.	मैक कॉल्स यूनिवर्सल क्युरेट्स	सेट	1	1	
6.	ग्रेसीज़ क्युरेट्स (नं. 1-18)	सेट	2	2	
7.	मिनी फ़ाइव क्युरेट्स	सेट	1	1	
8.	क्युमाइन स्केलर		1	1	

9.	मैलेट		1	1	
10.	चिज़ेल		1	1	
11.	ऑक्सेनबाइन चिज़ेल	स्ट्रेट, कर्व्ड	1	1	
12.	श्लूगर बोन फ़ाइल		1	1	
13.	बोन फ़िक्सेशन स्क्रू किट		1	1	
14.	बोन स्क्रैपर		1	1	
15.	ऑटोग्राफ़्ट्स निकालने के लिए बोन ट्रेफाइन्स	1 सेट	1	1	
16.	बोन रीजनरेटिव मटीरियल	बोन ग्राफ़्ट और जीटीआर मेम्ब्रेन	5	5	
17.	लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम	कम-से-कम दो विभिन्न एजेंट	1 नग प्रत्येक	1	
18.	रूट कंडीशनिंग एजेंट	कम-से-कम दो विभिन्न एजेंट	2	2	
19.	माइक्रो नीडिल होल्डर		1	1	
20.	माइक्रो सिज़र		1	1	
21.	मैग्निफाइंग लूप (2.5 - 3.5)		1	2	
22.	ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप	वैकल्पिक	1	1	
23.	थर्ड जनरेशन डिजिटल प्रोब	वैकल्पिक	1	1	
24.	बोन एक्सपांडर एवं बोन क्रेस्टर	वैकल्पिक	1	1	
25.	डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस किट	वैकल्पिक	1	1	
26.	बोन मिल	वैकल्पिक	1	1	
27.	बोन ग्राफ़्ट/मेम्ब्रेन प्लेसमेंट स्पून		1	1	
28.	बोन कंडेन्सर		1	1	
29.	पीज़ो-सर्जरी यूनिट	वैकल्पिक	1	1	
30.	पीआरपी/पीआरएफ़ तैयार करने के लिए सेंट्रीफ़्यूज़	वैकल्पिक	1	1	
31.	सॉफ़्ट टिशू लेज़र (8 वॉट)		1	1	
32.	ऑस्टियोटोम	सेट वैकल्पिक	1	1	
	विविध उपकरण				

1.	कंपोजिट किट, मटीरियल किट के साथ		1	1	
2.	स्प्लिटिंग किट, मटीरियल के साथ		2	3	
3.	कंपोजिट फ़िनिशिंग किट		1	1	
4.	ग्लास आयनोमर सीमेंट		1	1	
5.	डिजिटल कैमरा		1	1	
6.	इंट्रा-ओरल कैमरा		1	1	
7.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर		1	1	
8.	एमरजेंसी किट		1	1	
9.	रेफ्रिजरेटर		1	1	
10.	एक्स-रे व्यूअर		2	2	
11.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
12.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्कैनर		1	1	
13.	इम्प्लांट उपकरण				
14.	इलेक्ट्रिकल डेंटल चेयर एवं यूनिट		1	1	
	फिजियो डिस्पेंसर		1	1	
15.	इम्प्लांट किट	कम-से-कम दो भिन्न सिस्टम	2	2	
16.	इंप्लांट		10	10	
17.	इम्प्लांट मेंटेनेंस किट (प्लास्टिक उपकरण)		1 सेट	1 सेट	
18.	इंप्लांट गाइड		1	1	
19.	एक्स-रे व्यूअर		1	2	
20.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		1	2	
21.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता		1	1	
22.	सभी अनुशंसित चक्रों के लिए प्रोग्रामेबल ऑटोकलेव		1	1	

23.	आरबीजी, एक्स-रे मशीन के साथ		1	1	
24.	रेफ्रिजरेटर		1	1	
25.	सर्जिकल किट		2	2	
26.	साइनस लिफ्ट किट		1	1	
27.	एजुकेटिंग मॉडल		1	1	
28.	इम्प्लांट रिमूविंग किट		1	1	

विभाग: ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा		उपलब्धता
1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलेस लैंप, स्पिटून, 3 वे सिरिंज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे एवं हाई मोटराइज्ड सक्शन, साथ में माइक्रोमोटर और माइक्रो मोटर अटेचमेंट	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत दो चेयर।	1 यूनिट	2 यूनिट
2.	ऑटोक्लेव	फ्रंट लोडिंग	2	3	
3.	फ़्यूमिगेटर		1	1	
4.	ऑसिलेटिंग सॉ	सभी हैंड पीस के साथ	1	1	
5.	सर्जिकल उपकरण				
	जनरल सर्जरी किट, ट्रैकियोटॉमी किट समेत		2	2	
	माइनर ओरल सर्जरी किट		5	10	
	ऑस्टियोटॉमी किट		1	1	
	क्लेफ्ट सर्जरी किट		1	1	
	बोन ग्राफ़्टिंग किट एमरजेंसी किट		1	1	
	ट्रॉमा सेट, बोन प्लेटिंग किट समेत		1	1	
	इम्प्लांटोलॉजी किट, इम्प्लांट के साथ		2	2	
			1	1	
			2	2	

		न्यूनतम 2 सिस्टम	10	10	
6.	डिस्ट्रिक्शन ऑस्टियोजेनेसिस किट		1	1	
7.	पीजो-सर्जिकल यूनिट		1	1	
8.	मैग्निफाइंग लूप्स		1	1	
9.	ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और माइक्रोसर्जरी किट	वांछनीय	1	1	
10.	डर्माटोमस		1	1	
11.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		2	3	
12.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता का		1	1	
13.	फॉर्मैलिन चैम्बर		1	1	
14.	पल्स ऑक्सीमीटर		1	1	
15.	वेंटिलेटर		1	1	
16.	सभी सुविधाओं के साथ मेजर ऑपरेशन थिएटर		1	1	
17.	सभी आवश्यक जीवन समर्थक उपकरणों के साथ रिकवरी एवं इंटेंसिव केयर यूनिट		2 शैया	2 शैया	
18.	फाइब्रोऑप्टिक लाइट		1	1	
19.	इनपेशेंट शैया		20	20	
20.	फाइबर ऑप्टिक लैरिजोस्कोप		1	1	
21.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्कैनर		1	1	
22.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
23.	रेफ्रिजरेटर		1	1	

विभाग: कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉटिक्स

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा	उपलब्धता
---------	-----	-----------	--------	----------

1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलैस लैंप, स्पिटून, 3 वे सिरिंज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और मोटराइज्ड सक्शन, माइक्रोमोटर एवं एयरोटर अटेचमेंट व हैंडपीसों से युक्त।	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत दो चेयर।		
			1 यूनिट	2 यूनिट	
2.	एंडोसोनिक हैंडपीस - माइक्रो एंडोसोनिक टिप्स, रेद्रो ट्रीटमेंट		2	3	
3.	मेकेनाइज्ड रोटरी इंस्ट्रुमेंट, हैंड पीस (स्पीड एवं टॉर्क नियंत्रण) और हैंड इंस्ट्रुमेंट, विभिन्न सिस्टमों समेत		3	6	
4.	रबर डैम किट		1 प्रति कुर्सी	1 प्रति कुर्सी	
5.	बल्क इंस्ट्रुमेंट स्टरिलाइजेशन वैक्यूम के लिए ऑटोक्लेव (फ्रंट लोडिंग)		2	3	
6.	हैंड पीस स्टरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव		1	1	
7.	एपेक्स लोकेटर, हर दो चेयर के लिए एक		2	4	
8.	पल्प टैस्टर		2	4	
9.	इंजेक्टेबल थर्मोप्लास्टिसाइज्ड गटा पर्चा हेतु उपकरण		1	2	
10.	ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, 3 स्टेप या 5 स्टेप मैग्निफिकेशन		1	1	
11.	सर्जिकल एंडो किट्स (माइक्रोसर्जरी)		2	2	
12.	हैंड इंस्ट्रुमेंट का सेट (विनिर्देश आवश्यक)		1	2	
13.	ऑटोक्लेव के लिए स्टरिलाइजर ट्रे		4	4	
14.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता का		1	1	
15.	वेरिबल इंटेंसिटी पॉलीमराइजेशन उपकरण - वीएलसी यूनिट	वांछनीय	1	1	
16.	कन्वेन्शनल वीएलसी यूनिट, हर दो चेयर के लिए एक		2	4	
17.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		2	2	

18.	मैग्निफाइंग लूप्स, एक विद्यार्थियों के लिए और एक अध्यापक के लिए		1	2	
19.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
20.	विभिन्न शेडों के साथ कंपोजिट किट और पॉलिशिंग किट		2	4	
21.	सिरेमिक फ़िनिशिंग किट, मेटल फ़िनिशिंग किट	सिरेमिक लैब में	2	3	
22.	एमलगम फ़िनिशिंग किट		2	3	
23.	आरवीजी, एक्स-रे मशीन डेवलपिंग किट के साथ		1	1	
24.	चेयर साइड माइक्रो एब्रेजन		1	1	
25.	ब्लीचिंग यूनिट		1	1	
26.	इंस्ट्रुमेंट रिट्रीवल किट		1	1	
27.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर व स्केनर		1	1	
28.	रेफ्रिजरेटर		1	1	
29.	कार्स्टिंग कार्यविधियों के लिए उपकरण				
30.	सिरेमिक्स हेतु उपकरण, इंडक्शन कार्स्टिंग मशीनें / बर्नआउट प्रीहीट फ़र्नेस / वैक्स एलिमिनेशन फ़र्नेस शामिल		1	1	
31.	लैब माइक्रो मोटर / मेटल ग्राइंडर / सैंड ब्लास्टर / पॉलिशिंग लेद / डुप्लीकेटर उपकरण / वैक्यूम इन्वेस्टमेंट उपकरण		1	1	
32.	लेज़र (हार्ड टिश्यू वाली बेहतर)		1	1	
33.	सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर वाला फ़ेस बो		1	2	

विभाग: ऑर्थोडॉटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा	उपलब्धता
---------	-----	-----------	--------	----------

1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलेस लैंप, स्पिटून, 3 वे सिरिंज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और मोटराइज्ड सक्शन	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत दो चेयर	
2.			1 यूनिट	2 यूनिट
3.	वैक्यूम / प्रेशर मोल्लिंग यूनिट		1	1
4.	हायड्रोजन सोल्डरिंग यूनिट		1	1
5.	लैब माइक्रोमोटर		3	5
6.	स्पॉट वेल्डर		3	5
7.	मॉडल ट्रिमर (डबल डिस्क)		2	3
8.	लाइट क्योरिंग यूनिट		2	2
9.	हाई इंटेन्सिटी लाइट क्योरिंग यूनिट		1	2
10.	पॉलिशिंग लेद		2	3
11.	ट्रेसिंग टेबल		3	5
12.	एसएलआर डिजिटल कैमरा		1	1
13.	ट्रांसपरेन्सी एडेप्टर के साथ स्कैनर		1	1
14.	एक्स-रे व्यूअर		3	4
15.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1
16.	बल्क इंस्ट्रुमेंट स्टेरिलाइजेशन वैक्यूम के लिए ऑटोक्लेव (फ्रंट लोडिंग)		1	1
17.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		1	1
18.	ड्राई हीट स्टेरिलाइज़र		1	1
19.	अल्ट्रासोनिक स्केलर		1	1
20.	ऑर्थोडॉंटिक प्लायर्स के सेट		3	3
21.	ऑर्थोडॉंटिक इंप्रेशन ट्रे		3	5
22.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर 3.5 ली क्षमता		1	1
23.	इलेक्ट्रोपॉलिशर		1	1
24.	टायपोडॉट्स, साथ में फुल टीथ सेट		3	3
25.	एनाटॉमिकल आर्टिकुलेटर साथ में फ़ेस बो अटेचमेंट		1	1
26.	फ्री प्लेन आर्टिकुलेटर		1	1
27.	हिंज आर्टिकुलेटर		4	4
28.	सेफेलोमीट्रिक्स के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		1	1
29.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्कैनर		1	1
30.	रेफ्रिजरेटर		1	1

विभाग: ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा		उपलब्धता
			1	2 यूनिट	
1.	डेंटल चेरर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलेस लैंप, स्पिटून, 3 वे सिरिंज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और सक्शन	3	6	
2.	बायोप्सी के नमूनों के प्रसंस्करण और स्टेनिंग के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रयोगशाला ग्लासवेयर।	उचित मात्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।			
3.	पर्याप्त टिशू कैप्सूल / टिशू एम्बेडिंग कैसेट	उचित मात्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।			
4.	पैराफिन वैक्स बाथ	थर्मोस्टेटिकली नियंत्रित	1	1	
5.	ल्यूकहार्ट पीस		10	10	
6.	ब्लॉक होल्डर		25	25	
7.	माइक्रोटोम	मेनुअल	1	1	
8.	माइक्रोटोम	सेमी – ऑटोमेटेड	1	1	
9.	टिशू फ्लोटेशन वॉटर बाथ	थर्मोस्टेटिकली नियंत्रित	1	1	
10.	स्लाइड वार्मिंग टेबल		1	1	
11.	स्टेनिंग के लिए स्टील स्लाइड रैक		5	5	
12.	डायमंड ग्लास मार्कर		2	2	
13.	रिसर्च माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट, डार्क फील्ड, पोलराइजेशन, इमेज एनालायजर और फोटोमाइक्रोग्राफी अटैचमेंट के साथ।		1	1	
14.	मल्टी हेड माइक्रोस्कोप	पेंटा हेडेड	1	1	
15.	बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप		2	4	अध्यापक के लिए और हर विद्यार्थी के लिए एक
16.	स्टीरियो माइक्रोस्कोप		1	1	
17.	एल्युमिनियम स्लाइड ट्रे		5	5	
18.	लकड़ी / प्लास्टिक के स्लाइड बॉक्स		5	5	
19.	वैक्स ब्लॉक स्टोरिंग केबिनेट		5,000 की क्षमता	10,000 की क्षमता	
20.	स्लाइड स्टोरिंग केबिनेट		5,000 की क्षमता	10,000 की क्षमता	
21.	रेफ्रिजरेटर		1	1	
22.	पिपेट		5	5	
23.	बायोप्सी के लिए सर्जिकल किट		3	6	

24.	इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री लैब		1	1	
25.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्केनर		1	1	
26.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
27.	वांछनीय उपकरण				
28.	क्रायोस्टेट		1	1	
29.	फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप		1	1	
30.	हार्ड टिश्यू माइक्रोटोम		1	1	
31.	टिश्यू स्टोरिंग केबिनेट (फ्रोजन)		1	1	
32.	माइक्रोवेव		1	1	

विभाग: पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा	उपलब्धता	
	व्यापक मुखीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लिए विभाग में उपकरण				
1.	डेंटल चेयर	विद्युत चालित, साथ में शैडोलेस लैम्प, स्पिटून, 3 वे सिरिंज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और मोटराइज्ड सक्शन, माइक्रोमोटर अटेचमेंट, साथ में कौट्रा एंगल हैंडपीस, एयरोटर अटेचमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलर (पीजो), साथ में डिटेचेबल ऑटोक्लेवेबल हैंड पीस, न्यूनतम 3 टिप्स के साथ।	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत एक चेयर।		
2.			1 यूनिट	2 यूनिट	
3.	एक्सट्रैक्शन फॉरसेप्स		4 सेट	6 सेट	
4.	फिलिंग इंस्ट्रुमेंट		4 सेट	6 सेट	
5.	स्केलिंग इंस्ट्रुमेंट	सुप्रा जिंजिवल	4 सेट	6 सेट	
		स्केलिंग			
6.	एमलगमैटर		1	1	
7.	पल्प टैस्टर		1	1	

8.	ऑटोक्लेव		1	1	
9.	एक्स-रे व्यूअर		1	1	
10.	इंस्ट्रुमेंट केबिनेट		1	1	
11.	एलसीडी या डीएलपी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर		1	1	
12.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्केनर		1	1	
13.	परिधीय दन्त देखभाल या क्षेत्र कार्यक्रम के लिए				
14.	स्टाफ़ बस		1	1	
15.	मोबाइल डेंटल क्लीनिक जिसमें अग्निशामक के साथ संपूर्ण डेंटल यूनिट से युक्त कम-से-कम 2 डेंटल चेयर लगी हों।		1	1	
16.	अल्ट्रासोनिक स्केलर		1	2	
17.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता का		1	1	
18.	कंप्रेसर	एक, चेयर सहित	1	1	
19.	जनरेटर		1	1	
20.	पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री		1	1	
21.	टेलीविज़न		1	1	
22.	डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क प्लेयर		1	1	
23.	इंस्ट्रुमेंट केबिनेट, एमरजेंसी मेडिसिन किट, बीपी एपरेटस		1	1	
24.	पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिंडर		1	1	
25.	पोर्टेबल चेयर		1	1	
26.	रेफ्रिजरेटर		1	1	

विभाग: पिडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा	उपलब्धता
1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित। साथ में शैडोलेस लैंप, स्पिट्टून, 3 वे सिरिंज, और	हर पीजी विद्यार्थी के लिए एक चेयर व यूनिट और अध्यापक	

		मोटोराइज्ड सेक्शन, माइक्रोमोटर अटेचमेंट, कौट्रा एंगल मिनिएचर हैंडपीस, मिनिएचर हैंडपीस के साथ एयररोटर अटेचमेंट, डेंटल ऑपरेटर स्टूल(40% डेंटल चेयर पीडो चेयर होगी)	के लिए यूनिट समेत दो चेयर।	
			1 यूनिट	2

				यूनिट	
3.	पीडो एक्सट्रैक्शन फॉरसेप्स सेट		3	4	
4.	बल्क इंस्ट्रुमेंट स्टरिलाइजेशन वैक्यूम के लिए ऑटोक्लेव (फ्रंट लोडिंग)		1	2	
5.	आरवीजी, साथ में इंद्रा ओरल एक्स-रे यूनिट		1	1	
6.	ऑटोमेटिक डेवलपर		1	1	
7.	पल्प टैस्टर		2	3	
8.	एपेक्स लोकेटर		1	1	
9.	रबर डैम किट	हर विद्यार्थी के लिए एक	1	1	
10.	इंजेक्टेबल जीपी कंडेन्सर		1	1	
11.	एंडोडॉन्टिक प्रेशर सिरिंज		1	1	
12.	ग्लास बीड स्टरिलाइज़र		2	4	
13.	स्पॉट वेल्डर		2	3	
14.	अल्ट्रासोनिक स्केलर		2	4	
15.	नीडिल डेस्ट्रॉयर		1	1	
16.	फॉर्मैलिन चैम्बर		1	1	
17.	अल्ट्रासोनिक क्लीनर, 3.5 लीटर क्षमता का		1	1	
18.	एक्स-रे व्यूअर		2	3	

19.	एमलगमेटर		1	2	
20.	प्लास्टर डिस्पेंसर		2	2	
21.	डेंटल लेद		1	2	
22.	वाइब्रेटर		2	3	
23.	टायपोडॉट्स	हर विद्यार्थी के लिए एक	1	1	
24.	सोल्डरिंग यूनिट		1	1	
25.	बैंड पिचिंग बीक प्लायर		2 सेट	2 सेट	
26.	प्रॉक्सिमल कंटूररिंग प्लायर		2	3	
27.	क्राउन क्रिम्पिंग प्लायर		2	3	
28.	डबल बीक प्लायर एंटीरियर और पोस्टीरियर		2	3	
29.	लैब माइक्रो मोटर		2	3	
30.	एक्रिलाइज़र		1	2	
31.	मैग्निफाइंग लूप्स		1	1	
32.	कॉन्शियस सिडेशन यूनिट	वांछनीय	1	1	
33.	पल्स ऑक्सीमीटर		1	1	
34.	फैंटम हेड टेबल साथ में अटेच लाइड, एयरोटर और माइक्रो मोटर	हर पी.जी. विद्यार्थी के लिए एक सेट	1	1	
35.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्केनर		1	1	
36.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
37.	रेफ्रिजरेटर		1	1	

विभाग: ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी

क्रमांक	नाम	विनिर्देश	मात्रा	उपलब्धता
1.	डेंटल चेयर एवं यूनिट	विद्युत चालित, साथ में शैडोलैस	हर परास्नातक विद्यार्थी के लिए एक	
		लैम्प, स्पिटून, 3 वे सिरिज, इंस्ट्रुमेंट ट्रे और सक्शन	चेयर व यूनिट और अध्यापक के लिए यूनिट समेत एक चेयर	
2.			1 यूनिट	2 यूनिट

3.	आरवीजी, साथ में इंद्रा ओरल रेडियोग्राफी मशीन (एफडीए अनुमोदित)	55-70 केवीपी, साथ में डिजिटल कंपैटिबिलिटी	1	1	
4.	एक्स्ट्रा-ओरल रेडियोग्राफी मशीन	100 केवीपी	1	1	
5.	पैनोरमिक रेडियोग्राफी (ओपीजी) मशीन साथ में सेफेलोमेट्रिक एवं टीएमजे अटेचमेंट और प्रिंटर	डिजिटल कंपैटिबिलिटी	1	1	
6.	इंद्रा-ओरल कैमरा		1	2	
7.	पल्प टैस्टर		2	4	
8.	ऑटोक्लेव		1	1	
9.	पंच बायोप्सी टूल		2	3	
10.	बायोप्सी उपकरण		1	2	
10.	सर्जिकल ट्रॉली		2	2	
11.	एमरजेंसी मेडिसिन किट		1	1	
12.	एक्स्ट्रा ओरल कैसेट साथ में इंटेन्सिफाइंग स्क्रीन (कन्वेन्शनल और रेयर अर्थ)		4	6	
13.	लेड स्क्रीन		2	2	
14.	लेड एप्रन		2	2	
15.	लेड ग्लव्स		2	2	
16.	रेडियोग्राफिक फ़िल्टर (कन्वेन्शनल और रेयर अर्थ)		1	1	
17.	डार्क रूम, सेफ़ लाइट सुविधा के साथ		1	1	
18.	ऑटोमेटिक रेडियोग्राफिक फ़िल्म प्रोसेसर		2	2	
19.	रेडियोग्राफिक फ़िल्म स्टोरेज लेड कंटेनर		1	1	
20.	थायरॉइड कॉलर		1	1	
21.	डिजिटल स्फ़िग्मोमैनोमीटर		1	1	
22.	डिजिटल ब्लड ग्लूकोज़ टैस्टर		1	1	
23.	डिजिटल कैमरा		1	1	
24.	एक्स-रे व्यूअर बॉक्स		2	3	
25.	लेक्रिमल प्रोब्स		2 सेट	2 सेट	
26.	सिआलोग्राफी केन्युला		2 सेट	2 सेट	
27.	इल्युमिनेटेड माउथ मिरर एवं प्रोब		2	2	
28.	कंप्यूटर, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और स्कैनर		1	1	
29.	एलसीडी प्रोजेक्टर		1	1	
30.	रेफ्रिजरेटर		1	1	

अनुसूची-8

(विनियम 28 देखें)

क्लीनिकल सामग्री

50 यूजी प्रवेशों वाले महाविद्यालयों के लिए

न्यूनतम आवश्यकताएं (यूजी और पीजी, दोनों एकसाथ)

कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉन्टिक्स

यूनिट	एमओएस का आरंभ	पहला नवीनीकरण	दूसरा और तीसरा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	35	40	50	50
द्वितीय यूनिट	60	70	80	80

ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी

यूनिट	एमओएस का आरंभ	पहला नवीनीकरण	दूसरा और तीसरा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	75	80	90	100
द्वितीय यूनिट	110	120	130	130

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी

यूनिट	एमओएस का आरंभ	पहला नवीनीकरण	दूसरा और तीसरा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	30 (1+4)	35 (1+8)	40 (2+10)	40 (2+10)
द्वितीय यूनिट	50 (2+12)	60 (2+14)	70 (2+16)	70 (2+16)

मेजर सर्जरी + माइनर सर्जरी प्रति सप्ताह का औसत ऊपर कोष्ठकों में उल्लिखित है।

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी

यूनिट	एमओएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	1+2+3	1+3+3	1+3+5	1+3+5
द्वितीय यूनिट	2+4+6	2+5+8	2+6+10	2+6+10

* (बायोप्सी + सायटोलॉजी + हिमेटोलॉजी प्रति सप्ताह)

ऑर्थोडॉण्टिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स

यूनिट	एमओएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	15	20	25	25
द्वितीय यूनिट	30	35	40	40

पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	20	25	30	30
द्वितीय यूनिट	35	40	45	45

पेरियोडोंटोलॉजी

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	30	35	40	40
द्वितीय यूनिट	50	60	70	70

प्रॉस्थोडॉण्टिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	20	25	30	30
द्वितीय यूनिट	35	40	50	50

पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री (सेटेलाइट क्लिनिक के रोगी शामिल)

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	30	35	40	40
द्वितीय यूनिट	50	55	60	60

100 यूजी प्रवेशों वाले महाविद्यालयों के लिए

न्यूनतम आवश्यकताएं (यूजी और पीजी, दोनों एक साथ)

कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडॉटिक्स

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा व चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	50	60	70	70
द्वितीय यूनिट	80	90	100	100

ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	100	120	140	150
द्वितीय यूनिट	160	170	180	180

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	40 (1+4)	50 (1+8)	60 (2+10)	60 (2+10)
द्वितीय यूनिट	70 (2+12)	80 (2+14)	100 (2+16)	100 (2+16)

मेजर सर्जरी + माइनर सर्जरी प्रति सप्ताह का औसत ऊपर कोष्ठकों () में उल्लिखित है।

ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	1+3+5	1+6+5	2+6+10	2+6+10
द्वितीय यूनिट	3+6+12	3+7+12	3+7+14	3+7+14

* (बायोप्सी + सायटोलॉजी + हिमेटोलॉजी प्रति सप्ताह)

ऑर्थोडॉटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपीडिक्स

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	20	25	30	30
द्वितीय यूनिट	40	45	50	50

पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	30	35	40	40
द्वितीय यूनिट	50	55	60	60

पेरियोडोंटोलॉजी

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	40	50	60	60
द्वितीय यूनिट	80	90	100	100

प्रॉस्थोडॉटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	30	35	40	40
द्वितीय यूनिट	50	55	60	60

पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री (सेटेलाइट क्लिनिक के रोगी शामिल)

यूनिट	एमडीएस का आरंभ	द्वितीय नवीनीकरण	तीसरा और चौथा नवीनीकरण	मान्यता
प्रथम यूनिट	40	45	50	50
द्वितीय यूनिट	60	65	70	70

लॉग बुक

तालिका 1

शैक्षणिक गतिविधियां जिनमें भाग लिया

नाम :

प्रवेश का वर्ष :

महाविद्यालय:

तिथि	गतिविधि का प्रकार निर्दिष्ट करें (संगोष्ठी, शोधपत्रिका क्लब, प्रस्तुति, स्नातक अध्यापन)	विवरण

तालिका 2प्रशिक्षु द्वारा दी गई शैक्षणिक प्रस्तुतियां

नाम :

प्रवेश का वर्ष :

महाविद्यालय :

तिथि	टॉपिक	गतिविधि का प्रकार निर्दिष्ट करें (संगोष्ठी, शोधपत्रिका क्लब, प्रस्तुति, स्नातक अध्यापन)

तालिका 3संपादित हुई नैदानिक एवं शल्यक्रियात्मक कार्यविधियां

नाम :

प्रवेश का वर्ष

महाविद्यालय

तिथि	नाम	ओपी सं.	कार्यविधि	श्रेणी O, A, PA, PI

कुंजी :

O—पूरी तरह विफल रहा और प्रेक्षण किया—प्रवेश के आरंभिक 6 माह

A—वरिष्ठ सर्जन की सहायता की—प्रथम वर्ष एमओएस

PA— एक वरिष्ठ सर्जन के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्यविधि संपादित की – द्वितीय वर्ष एमओएस

PI—स्वतंत्र रूप से निष्पादन किया – तृतीय वर्ष एमओएस

डॉ सव्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./207/17]

DENTAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2017

No. DE-87-2017.—In exercise of the powers conferred by clauses (g), (h) and (ha) of sub-section (2) of section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, after consultation with the State Governments as required under clause (g) and (h) of the said Act, and in supersession of the Dental Council of India Revised MDS Course Regulations, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Dental Council of India with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

PART— I**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In these regulations unless the context otherwise requires:—
 - (a) “Act” means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948)
 - (b) “the Council” means the Dental Council of India constituted under section 3 of the Act;
 - (c) “dentistry” includes.—
 - (i) the performance of any operation on, and the treatment on any disease, deficiency or lesion of, human teeth or jaws, and the performance of radiographic work in connection with human teeth or jaws or the oral cavity;
 - (ii) the giving of any anesthetic in connection with any such operation or treatment;
 - (iii) the mechanical construction or the renewal of artificial dentures or restorative dental appliances;
 - (iv) the performance of any operation on, or the giving of any treatment, advice or attendance to, any person preparatory to, or for the purpose of, or in connection with, the fitting, inserting, fixing, constructing, repairing or renewing of artificial dentures or restorative dental appliances, and the performance of any such operation and the giving of any such treatment, advice or attendance, as is usually performed or given by dentists;
 - (d) “NEET” means the National Eligibility-cum-Entrance Test conducted by the National Board of Examination for admission to post-graduate courses;
 - (e) “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes any such institution as may, in consultation with the university concerned, be recognised by the University Grant Commission in accordance with the regulations made in this behalf under this Act.

PART - II**GENERAL CONDITIONS TO BE OBSERVED BY POST GRADUATE TEACHING INSTITUTIONS**

3. **GENERAL CONDITIONS.**—(1) The institutions recognised by the Central Government and after consultation with the Council shall be eligible for conducting the post-graduate degree or diploma course(s).
(2) The maximum number of students for a post-graduate course, for training for the award of post-graduate degree or diploma by the affiliating university, shall be determined by the facilities available in the department in terms of infrastructure, teaching staff and clinical teaching material. However, to start with, a maximum of three post-graduate students, (one Unit) shall be permitted in a speciality department. The annual intake capacity recommended by the Council and approved by the Central Government for the academic year shall be final. No institution shall be permitted to increase more than three seats at a time in its annual intake capacity in a particular speciality in a given academic year. Not more than two units consisting of six seats (including increase of seats) shall be granted to any dental institutions for each speciality.
(3) The students undergoing post-graduate courses shall be exposed to the following:—
 - (i) basics of bio-statistics and research methodology;
 - (ii) basics of human behaviour studies;
 - (iii) basics of pharmaco-economics;
 - (iv) introduction to the non-linear mathematics.

4. ETHICS IN DENTISTRY.—

There is a definite shift from the traditional patient and doctor relationship and delivery of dental care. With the advances in science and technology and the increasing needs of the patient, their families and community, there is a concern for the health of the community as a whole. There is a shift to greater accountability to the society. Dental specialists like the other health professionals are confronted with many ethical problems. It is therefore absolutely necessary for each and every one in the health care delivery to prepare themselves to deal with these problems. To accomplish this and develop human values, it is desired that all the trainees undergo ethical sensitization by lectures or discussion on ethical issues, discussion of cases with an important ethical component.

5. ELIGIBILITY FOR ADMISSION.—

A candidate for admission to the Master in Dental Surgery course, must possess a recognised degree of Bachelor in Dental Surgery awarded by a university or institute in India and registered with the State Dental Council and has obtained provisional or permanent registration and has undergone compulsory rotatory internship of a year in an approved/recognised dental college:

Provided that in the case of a foreign national, the following procedure shall be followed:—

The Council may, on payment of the prescribed fee for registration, grant temporary registration for the duration of the post-graduate training restricted to the dental college/institution to which he or she is admitted for the time being exclusively for post-graduate studies:

Provided further that temporary registration to such foreign national shall be subject to the condition that such person is duly registered as medical practitioner in his/her own country from which he/she has obtained his/her basics dental qualification and that his/her degree is recognized by the corresponding state dental council or concerned authority.

6. SELECTION OF CANDIDATE FOR POST-GRADUATE COURSES.—

There shall be a uniform NEET for admission to the post-graduate dental courses in each academic year conducted in the manner, as prescribed by the National Board of Examination or any other authority appointed by the Central Government in this behalf. The overall superintendence, direction and control of the NEET shall vest with the Council.

7. QUALIFYING CRITERIA FOR ADMISSION TO POST-GRADUATE COURSES.— (1) The candidate has to secure the following category-wise minimum percentile in NEET for admission to post-graduate courses held in a particular academic year.

General	50 th Percentile
Person with locomotory disability of lower limbs	45 th Percentile
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes	40 th Percentile

Provided that the percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list in NEET for post-graduate courses:

Provided further, that when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in NEET held for any academic year for admission to post-graduate courses, the Central Government in consultation with the Council may, at its discretion lower the minimum marks required for admission to post-graduate courses for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

(2) The reservation of seats in dental college/institutions for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in NEET Test and candidates shall be admitted to post-graduate courses from the said merit list only:

Provided that in determining the merit of candidates who are in service of Government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/competent authority as an incentive upto 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas upto the maximum of 30% of the marks obtained in NEET. The remote and difficult areas shall be as defined by State Government / competent authority from time to time.

- (3) A candidate who has failed to secure the minimum percentile as prescribed in these regulations, shall not be admitted to any post-graduate courses in any academic year.
- (4) Minimum 5% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%:

Provided that in case any seat in this quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50% - before they are included in the annual sanctioned seats for general category candidates:

Provided further that this entire exercise shall be completed by each dental college/institution as per the statutory time schedule for admissions.

8. COMMENCEMENT OF ACADEMIC SESSION AND CUT-OFF DATE FOR ADMISSION.—

- (1) The academic session shall be commenced from 1st of May and the cut-off date for admission, even for stray vacancies, in the Master of Dental Surgery course shall be 31st of May, every year. The universities and other institutions shall start the admission process in such a way that teaching in post-graduate courses starts by 1st May each year for which they shall strictly adhere to the time schedule specified in the Dental Council of India (Establishment of new dental colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in existing dental colleges) Regulations, 2006.
- (2) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond the 31st May for post-graduate courses under any circumstances. The universities or institute shall not register any student beyond the said date; in case, any institution which grants admission to any student after the last date specified for the same shall also be liable to face such action including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year.
- (3) The Council may direct, that any student identified as having obtained his/her admission after the last date for closure of admission be discharged from the course of study, or any dental qualification granted to such a student shall not be a recognised qualification for the purpose of the Act.

9. COMMON COUNSELING.—(1) There shall be a common counseling for admission to all post-graduate courses (Diploma/MDS) in all dental educational institutions on the basis of merit list of the NEET.

2. The designated authority for counseling for the 50% All India Quota seats of the contributing States, as per the existing scheme for post graduate (Diploma/MDS) courses shall be the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Further Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India shall conduct counseling for all post-graduate (Diploma/MDS) Courses in Dental Educational Institutions of the Central Government, Universities established by an Act of Parliament and the Deemed Universities.
- (3) The counseling for admission to post-graduate (Diploma/MDS) courses in all dental Educational Institutions in a State/Union Territory, including dental educational institutions established by the State Government, University established by an Act of State/Union Territory Legislature, Trust, Society, Minority Institutions shall be conducted by the State/Union Territory Government.
- (4) In case, any dispute arises on such common counseling, the matter to the Central Government and its decisions shall be final, in this regard.

10. INFORMATION ON ADMISSION AND SCHEDULE OF EXAMINATION.—Every dental institution and its affiliating university shall furnish information on admissions in the courses of study, schedule of examinations to the Council, in such form as the Council may specify, within stipulated period from time to time.

- 11. PERIOD OF TRAINING.—(1) The period of training for the award of the MDS course shall be of three years duration for three academic years as full time candidates in an institution including the period of examination:**

Provided that the time period required for passing out of the MDS course shall be a maximum of six years from the date of admission in said course:

Provided further that the duration of the post-graduate course for the post-graduate Diploma holders shall be of two years in the respective speciality. The syllabus and curriculum shall be the same as MDS Course in the concerned speciality except that they are not required (i) to undergo study and training in Basic Sciences and (ii) pass the PART-I Examination of MDS Course. However, they have to submit the dissertation work, as part of the post-graduate programme.

(2) During the period, each student shall take part actively in learning and teaching activities design of training, by the institution or the university. The teaching and learning activities in each speciality, shall be as under:—

(a) LECTURES:

There shall be some didactic lectures in the speciality and in the allied fields. The departments shall encourage guest lectures in the required areas and integrated lectures by multi-disciplinary teams on selected topics, to strengthen the training programmes.

(b) JOURNAL REVIEW:

The journal review meetings shall be held at least once a week. All trainees, associate and staff associated with the post-graduate programme are expected to participate actively and enter relevant details in the logbook. The trainee shall make presentations from the allotted journals of selected articles. A model check list for the evaluation of journal review presentation is annexed at Schedule-I of these regulations.

(c) SEMINARS:

The seminars shall be held at least twice a week in each department. All trainees are expected to participate actively and enter relevant details in logbook. A model check list for the evaluation of seminar presentation is annexed at Schedule-II of these regulations.

(d) SYMPOSIUM:

It is recommended to hold symposium on topics covering multiple disciplines.

(e) CLINICAL POSTINGS:

Each trainee shall work in the clinics on regular basis to acquire adequate professional skills and competency in managing various cases, A model check list for evaluation of clinical postings is annexed at Schedule-III of these regulations.

(f) CLINICO- PATHOLOGICAL CONFERENCE:

The clinico pathological conference shall be held once a month involving the faculties of Oral Medicine and Radiology, Oral Pathology and allied clinical departments. The trainees shall be encouraged to present the clinical details, radiological and histo-pathological interpretations and participation in the discussions.

(g) INTER-DEPARTMENTAL MEETINGS:

To encourage integration among various specialities, there shall be inter-departmental meeting chaired by the Dean with all heads of post-graduate departments at least once a month.

(h) TEACHING SKILLS:

All the trainees shall be encouraged to take part in undergraduate teaching programmes either in the form of lectures or group discussions. A model check list for evaluation of teaching skills is annexed at Schedule-IV of these regulations.

(i) DENTAL EDUCATION PROGRAMMES:

Each department shall organise dental education programmes on regular basis involving other institutions. The trainees shall also be encouraged to attend such programmes conducted outside their university or institute.

(j) CONFERENCES / WORKSHOPS / ADVANCED COURSES:

The trainees shall be encouraged to attend conference/workshops/advanced courses and also to present at least two scientific papers and two posters at State / national level speciality and allied conferences / conventions during the training period.

(k) ROTATION AND POSTING IN OTHER DEPARTMENTS:

To bring in more integration among the specialities and allied fields, each department shall workout a programme to rotate the trainees in related disciplines.

(l) DISSERTATION / THESIS:

The trainees shall prepare a dissertation based on the clinical or experimental work or any other study conducted by them under the supervision of the guide. A model check list for evaluation of dissertation presentation and continuous evaluation of dissertation work by guide / co-guide is annexed at Schedule-V of these regulations. A model overall assessment sheet to be filled by all the trainees undergoing post-graduate course is annexed at Schedule-VI of these regulations.

(3) All the students of the speciality departments shall complete the minimum quota for the teaching and learning activities, as follows:—

(a)	Journal Clubs	:	5 in a year
(b)	Seminars	:	5 in a year
(c)	Clinical Case Presentations	:	4 in a year
(d)	Lectures taken for undergraduates	:	1 in a year
(e)	Scientific Paper / Poster Presentations In State / National Level Conferences	:	4 papers/posters during three years of training workshop period
(f)	Clinico Pathological Conferences	:	2 presentations during three years of training period
(g)	Scientific Publications (optional)	:	one publication in any indexed scientific journal
(h)	Submission of Synopsis	:	one synopsis within six months from the date of commencement of the course
(i)	Submission of Dissertation months	:	one dissertation within six months before appearing for the university examination
(j)	Submission of Library Dissertation	:	one dissertation within eighteen months from the date of commencement of the course

12. STIPEND.— The post-graduate students shall be paid stipend only for duration of three years of the course, as may be fixed by the Central Government/State Government/Union Territory Administration or such authority as the respective Government/administration may authorise. Where any dispute arises regarding any such stipend, including, quantum of stipend, it shall be considered and decided by the Central Government/respective State Government/Union Territory Administration at its own level and its decision shall be final.

13. **MIGRATION:** Under no circumstances, the migration or the transfer of students undergoing post-graduate Degree/Diploma shall not be permitted by the university or the authority. No inter-change of the speciality in the same institution or in any other institution shall be permitted after the date of the commencement of session.

PART-III

14. INFRASTRUCTURE AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS :

- (1) **Space:** In addition to the undergraduate functional, facilities, the following physical facilities shall be made available to start a post-graduate training programme, namely:—
- (a) a minimum of 125 sq ft. area for each dental chair in the clinic. The area of the clinic shall be in accordance with the number of dental chairs required to be placed in the department;
 - (b) each department shall be equipped with a seminar hall, library, sterilization room, (800 to 1000 sq.ft.)
- (2) **Equipment:** Each department shall have adequate number of standard equipments available in the market as approved by the ISI.

The details of equipments specialities / unit wise is annexed as Schedule –VII to these regulations.

- (3) **Library:** (a) There shall be a central library which shall provide the latest editions of books pertaining to the speciality and allied subjects. In additions to this, the departmental library shall be equipped with the latest books in the subjects concerned. In case, the central library is shared with the medical college, there shall be provision for additional space and separate budget for the dental college.
- (b) In addition to books and journals in the library, internet, CDs, audio-visual facilities should be available.
 - (c) Minimum 15-20 titles of renowned authors, 4-6 international journals of the concerned speciality, alongwith 8-10 volumes of back issues of atleast 3 international journals of the concerned speciality should be available.
 - (d) All the journals of the speciality and allied subjects shall be available out of which 50% should be in print form.

Note: All the existing dental institutions shall comply with these requirements except the land requirement of five acres within a period of *three* years from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

Part - IV

STAFFING PATTERN FOR POST-GRADUATE COURSE

15. TEACHING STAFF:

In a unit, two post-graduate students shall be guided by a Professor and one student by a Reader or an Associate Professor. To strengthen and maintain the standards of post-graduate training, the following unit-wise staffing pattern has been made mandatory, for the starting of a post-graduate course, namely:-

Unit 1 :-

Departments/Specialty	Minimum faculty requirement of 1 st Unit in an undergraduate institute having basic infrastructure of 50 admissions		
	Professor (HOD)	Readers/ Associate Professors	Lecturers/Assistant Professor
Prosthodontics and Crown & Bridge	1	3	4
Conservative Dentistry and Endodontics	1	3	4
Periodontology	1	2	2
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics	1	2	2
Oral & Maxillofacial Surgery	1	2	2
Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology	1	2	2
Oral Medicine & Radiology	1	2	2
Pediatric Dentistry	1	2	2
Public Health Dentistry	1	2	2
Prosthodontics and Crown & Bridge	1	3	6
Conservative Dentistry and Endodontics	1	3	6
Periodontology	1	3	3
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics	1	2	3
Oral & Maxillofacial Surgery	1	3	3
Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology	1	2	3
Oral Medicine & Radiology	1	2	3
Pediatric Dentistry	1	2	3
Public Health Dentistry	1	2	3

Unit 2 :-

Each department shall have the following additional teaching faculty, over and above the requirement of Unit 1.

Professor	1
Reader/Associate Professor	1
Lecturer/Asst. Professor	2

Note:-The department, which does not have the above staffing pattern, shall not start post-graduate course in that speciality.

16. PART-TIME PROFESSOR.—

Part-time professor who can put in at list four hours a day or eighty hours in a month are eligible to enroll only one post-graduate student under them and they shall be entitled to 50% of leave entitled for regular teaching faculty.

17. AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND TEACHING EXPERIENCE.—

(a) **HEAD OF THE DEPARTMENT:**

A Bachelors Degree in Dental Surgery from an Indian University with Masters in Dental Surgery / Diplomate of National Board recognised by the Government of India on the recommendations of the Council, and with one year teaching experience in the speciality as Professor, and shall have to acquire minimum points for publications as per the scheme given in the table.

(b) **PROFESSOR:**

A Bachelors Degree in Dental Surgery from an Indian University with Masters in Dental Surgery / Diplomate of National Board recognised by the Government of India on the recommendations of the Council, and with five years of teaching experience in the speciality as Reader/Associate Professor, and shall have to acquire minimum points for publications as per the scheme given in the table.

(c) **READER/ASSOCIATE PROFESSOR:**

A Bachelors Degree in Dental Surgery from an Indian University with Masters in Dental Surgery / Diplomate of National Board recognised by the Government of India on the recommendations of the Council, and with four years of teaching experience in the speciality after post-graduation, and shall have to acquire minimum points for publications as per the scheme given in the table.

(d) **LECTURER/ASSISTANT PROFESSOR:**

A Bachelors Degree in Dental Surgery from an Indian University with Masters in Dental Surgery / Diplomate of National Board recognised by the Government of India on the recommendations of the Council, in the speciality.

Note:

1. All the regular teaching faculty shall be full time.
2. Teaching experience gained in medical college, where there are no dental courses, shall not be accepted for teaching post-graduate students. Dental faculty with post-graduate qualification in dentistry, shifting from the dental department of a medical college shall have to complete minimum of three years of teaching experience in a dental college or institution before being accepted as post-graduate faculty.
3. In exceptional cases, the teaching experience, in Government dental colleges, may be considered for further promotion on the basis of total teaching experience.
4. The Reader/Associate Professor in a dental college shall attend teachers training program once in three years.
5. The Senior Residents with post-graduate qualification or Diplomate of National Board recognised by the Council, in the speciality having teaching experience in dental colleges may be considered equivalent to Lecturer/Assistant Professor.
6. Teaching experience in a private dental institution for less than one year shall not be considered relevant for post-graduate faculty.
7. The maximum age limit upto which a person can be appointed or granted extension or re-employed in service against the posts of dental teachers or Dean or Principal, as the case shall be, sixty five years.

Table – 1

	Category	Points
	Category I: (1) Journals Indexed to Pubmed – Medline Please see- www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (2) Journals published by Indian/International Dental Speciality Associations approved by Dental Council of India.	15
	Category II: (1) Medical / Dental Journals published by Government Health Universities awarding	10

	dental degree or Govt. Universities awarding dental degree (2) Original Research/Study approved by I.C.M.R/Similar Govt. Bodies (3) Author of Text / Reference Book concerned to respective specialty (4) PhD. or any other similar additional qualification after MDS							
	Category III: (1) Journals published by Deemed Universities / Dental Institutions / Indian Dental Association (2) Contribution of Chapters in the Text Book	5						
<p>Note:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For any publication, except original research, first author (principal author) shall be given 100% points and remaining authors (co-authors) shall be given 50% points and upto a maximum of 5 co-authors will be considered. 2. For original research, all authors shall be given equal points and upto a maximum of 6 authors shall be considered. 3. Maximum of 3 publications shall be considered for allotting points in Category III. 4. Publication in tabloids / souvenirs / dental news magazines / abstracts of conference proceedings / letter of acceptance shall not be considered for allotment of points. <p><u>Total Score Required:</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">For Head of Department:</td> <td style="text-align: right;">40 marks</td> </tr> <tr> <td>Professor:</td> <td style="text-align: right;">30 marks</td> </tr> <tr> <td>Reader/Associate Professor:</td> <td style="text-align: right;">20 marks</td> </tr> </table> <p>IMPORTANT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A post-graduate teacher would be re-evaluated every three years and shall have at least an additional 15 points in their score. 2. A Journal Review Expert Committee may be formed which shall enlist all the available international and Indian dental journals in various categories. The list would be displayed on the Council's website. The Committee shall also be responsible for making annual review of the list of journals and shall continuously monitor the standard of publications in various journals and the categories of publications may be upgraded / downgraded, if the standard is not maintained by the journal. In case of any dispute, the recommendation of the Expert Committee shall be reviewed by the Executive Committee and decision of the Executive Committee would be final. 			For Head of Department:	40 marks	Professor:	30 marks	Reader/Associate Professor:	20 marks
For Head of Department:	40 marks							
Professor:	30 marks							
Reader/Associate Professor:	20 marks							

**PART – V
EXAMINATIONS**

18. EXAMINATIONS._

(a) ELIGIBILITY:

The following requirements shall be fulfilled by the candidate to become eligible for the final examination.

- (i) Attendance: Every candidate shall secure (80% attendance during each academic year).
- (ii) Progress and conduct: Every candidate shall participate in seminars, journal review meetings, symposia, conferences, case presentations, clinics and didactic lectures during each year organised by the concerned department.
- (iii) Work diary and log book: Every candidate shall maintain a work diary and log book as per Annexure-I appended to these regulations for recording his or her participation in the training programmes conducted by the department. The work diary and log book shall be verified and certified by the Head of the Department of the institution. The certification of satisfactory progress is based on the work diary and log book.

(b) UNIVERSITY EXAMINATION._

The university examination shall consist of theory, practical and clinical examination and viva-voce and Pedagogy

(i) Theory:

Part-I: Shall consist of one paper

There shall be a theory examination in the Basic Sciences at the end of 1st year of course. The question papers shall be set and evaluated by the concerned Department/Specialty. The candidates shall have to secure a minimum of 50% in the Basic Sciences and shall have to pass the **Part-I** examination at least six months prior to the final (Part-II) examination.

Part-II: Shall consist of three papers, namely:—

- (ii) Practical and Clinical Examination;
- (iii) Viva-voce; and
- (iv) Pedagogy.

A candidate who wishes to study in a second speciality, shall have to undergo the full course of three years duration in that speciality.

(c) DISSERTATION:

Every candidate appearing for the post-graduate degree examination shall at least six months prior to the examinations, submit with his form for examination, four typewritten copies of the dissertation undertaken by the candidate, prepared under the direction and guidance of his/her guide. The dissertation so submitted shall be referred to the examiners for their examination and acceptance of it shall be a condition precedent to allow the candidate to appear for the written part of the examination:

Provided that a candidate whose dissertation has been accepted by the examiner, but declared failed at the examination, shall be permitted to re-appear at the subsequent examination without a new dissertation:

Provided further that if the dissertation is rejected by the examiner, the examiner shall assign reasons therefor with suggestions for its improvement to the candidate and such candidate shall re-submit his/ her dissertation to the examiner who shall accept it before appearing in the examination.

(d) CLINICAL/PRACTICAL EXAMINATION:

Clinical/practical examination is designed to test the clinical skill, performance and competence of the candidate in skills such as [communication](#), [clinical examination](#), medical/dental procedures or prescription, exercise prescription, latest techniques, evaluation and interpretation of results so as to undertake independent work as a specialist. The affiliating university shall ensure that the candidate has been given ample opportunity to perform various clinical procedures.

The practical/clinical examination in all the specialities shall be conducted for six candidates in two days:

Provided that practical/clinical examination may be extended for one day, if it is not complete in two days.

(e) VIVA-VOCE EXAMINATION:

Viva voce examination aims at assessing the depth of knowledge, logical reasoning, confidence and communication skill of the students.

(f) SCHEME OF EXAMINATION:

Theory: Part-I: Basic Sciences Paper	- 100 Marks
Part-II: Paper-I, Paper-II & Paper-III	- 300 Marks (100 Marks for each Paper)

Written examination shall consist of Basic Sciences (Part-I) of three hours duration shall be conducted at the end of First year of MDS course. Part-II Examination shall be conducted at the end of Third year of MDS course. Part-II

Examination shall consist of Paper-I, Paper-II and Paper-III, each of three hours duration. Paper-I & Paper-II shall consist of two long answer questions carrying 25 marks each and five questions carrying 10 marks each. Paper-III will be on Essays. In Paper-III three Questions will be given and student has to answer any two questions. Each question carries 50 marks. Questions on recent advances may be asked in any or all the papers. Distribution of topics for each paper will be as follows:

Part-I : Applied Basic Sciences: Applied Anatomy, embryology, growth and development Genetics, Immunology, anthropology, Physiology, nutrition & Biochemistry, Pathology & Microbiology, virology, Applied pharmacology, Research Methodology and bio statistics, Applied Dental anatomy & histology, Oral pathology & oral Microbiology, Adult and geriatric psychology. Applied dental materials.

Part-II

Paper-I : Removable Prosthodontics and Implant supported prosthesis (Implantology), Geriatric dentistry and Cranio facial Prosthodontics

Paper-II : Fixed Prosthodontics, occlusion, TMJ and esthetics.

Paper-III : Essays

**The topics assigned to the different papers are generally evaluated under those sections. However a strict division of the subject may not be possible and some overlapping of topics is inevitable. Students should be prepared to answer overlapping topics.*

(g) DISTRIBUTION OF MARKS:

Theory : (Total 400 Marks)

(1) Part I University Examination (100 Marks):-

There shall be 10 questions of 10 marks each (Total of 100 Marks)

(2) Part II (3 papers of 100 Marks):-

(i) Paper-I: 2 long essay questions of 25 marks each and 5 short essays of 10 marks each. (Total of 100 Marks)

(ii) Paper-II: 2 long essay questions of 25 marks each and 5 short essays of 10 marks each. (Total of 100 Marks)

(iii) Paper III: 2 out of 3 essay questions (50 x 2 = 100 Marks)

Practical and Clinical Examination : 200 Marks

Viva-voce and Pedagogy : 100 Marks

19. EXAMINERS:

Part I: There shall be one internal and one external examiner for three students appointed by the affiliating university for evaluating the answer scripts of the same speciality. However, the number of examiner/s may be increased with the corresponding increase in number of students.

Part II: There shall be four examiners in each subject. Out of them, two (50%) shall be external examiners and two (50%) shall be internal examiners. Both external examiners shall be from a university other than the affiliating university and one examiner shall be from a university of different State.

20. QUALIFICATION AND EXPERIENCE FOR EXAMINERS:

The qualification and experience for appointment of an examiner shall be as under:-

- (i) shall possess qualification and experience of a Professor in a post-graduate degree programme;
- (ii) a person who is not a regular post-graduate teacher in the subject shall not be appointed as an examiner;
- (iii) the internal examiner in a subject shall not accept external examinership in a college for the same academic year;
- (iv) no person shall be appointed as an external examiner for the same institution for more than two consecutive years. However, if there is a break of one year, the person can be re-appointed.

21. EXAMINATION CENTRE:

- (1) In the event of university exam being conducted in the same city or town having more than one post-graduate institution under the same university, one central examination centre shall be fixed by the university and the students from all the institutions of the city shall take the examination in that center: Provided that the clinical and viva-voice shall be conducted at their institute.
- (2) Rotation of the institutions as center of examination shall be as per direction of the university.

22. VALUATION OF ANSWER BOOKS:

Part-I : Answer book/s shall be evaluated by the internal and external examiner/s

Part-II : Answer books shall be evaluated by four examiners, two internal and two external and the average marks shall be computed.

23. CRITERIA FOR PASS CERTIFICATE:

To pass the university examination, a candidate shall secure in both theory examination and in practical/clinical including viva voce independently with an aggregate of 50% of total marks allotted (50 out of 100 marks in Part I examination and 150 marks out of 300 in Part II examination in theory and 150 out of 300, clinical plus viva voce together). A candidate securing marks below 50% as mentioned above shall be declared to have failed in the examination.

A candidate who is declared successful in the examination shall be granted a Degree of Master of Dental Surgery in the respective speciality.

PART – VI
SYLLABUS

The syllabus for post-graduate course includes both Applied Basic Sciences and subjects of concerned specialty. The syllabus in Applied Basic Sciences shall vary according to the particular speciality, similarly the candidates shall also acquire adequate knowledge in other subjects related to their respective speciality.

24. SYLLABUS DISTRIBUTION IN VARIOUS SPECIALITIES:**(i) PROSTHODONTICS AND CROWN & BRIDGE****Part-I**

Paper-I : **Applied Basic Sciences:** Applied anatomy, embryology, growth and development Genetics, Immunology, anthropology, Physiology, nutrition and Biochemistry, Pathology and Microbiology, virology, Applied pharmacology, Research Methodology and bio statistics, Applied Dental anatomy and histology, Oral pathology & oral Microbiology, Adult and geriatric psychology. Applied dental materials.

Part-II

Paper-I : Removable Prosthodontics and Implant supported prosthesis(Implantology), Geriatric dentistry and Cranio facial Prosthodontics

Paper-II : Fixed Prosthodontics, occlusion, TMJ and esthetics.

Paper-III : Descriptive and analysing type question

(ii) PERIODONTOLOGY**Part-I**

Paper-I : **Applied Basic Sciences:** Applied Anatomy, Physiology, and Biochemistry, Pathology, Microbiology, Pharmacology, Research Methodology and Biostatistics.

Part-II

Paper I : Normal Periodontal structure, Etiology and Pathogenesis of Periodontal diseases,

epidemiology as related to Periodontics

- Paper II : Periodontal diagnosis, therapy and Oral implantology
 Paper III : Descriptive and analysing type question

(iii) **ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY**

Part-I

Part-I : **Applied Basic Sciences:** Applied Anatomy, Physiology, & Biochemistry, Pathology, Microbiology, Pharmacology, Research Methodology and Biostatistics.

Part- II:

Paper-I : Minor Oral Surgery and Trauma

Paper-II : *Maxillo-facial Surgery*

Paper-III : Descriptive and analysing type question

(iv) **CONSERVATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS**

Part-I

Part-I : **Applied Basic Sciences:** Applied Anatomy, Physiology, Pathology including Oral Microbiology, Pharmacology, Biostatistics and Research Methodology and Applied Dental Materials.

Part-II

Paper-I : Conservative Dentistry

Paper-II : Endodontics

Paper-III : Descriptive and analysing type question

(v) **ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS**

Part-I

Part-I : **Applied Basic Sciences:** Applied anatomy, Physiology, Dental Materials, Genetics, Pathology, Physical Anthropology, Applied Research methodology, Bio-Statistics and Applied Pharmacology.

Part-II

Paper-I : Orthodontic history, Concepts of occlusion and esthetics, Child and Adult Psychology, Etiology and classification of malocclusion, Dentofacial Anomalies, Diagnostic procedures and treatment planning in Orthodontics, Practice management in Orthodontic

Paper II : Clinical Orthodontics

Paper III : Descriptive and analysing type question

(vi) **ORAL AND MAXILLOFACIAL PATHOLOGY AND ORAL MICROBIOLOGY:**

Part-I

Part-I : **Applied Basic Sciences:** Applied anatomy, Physiology (General and oral), Cell Biology, General Histology, Biochemistry, General Pathology, General and Systemic Microbiology, Virology, Mycology, Basic Immunology, Oral Biology (oral and dental histology), Biostatistics and Research Methodology

Part-II:

Paper-I : *Oral pathology, Oral Microbiology and Immunology and Forensic Odontology*

Paper-II : *Laboratory techniques and Diagnosis and Oral Oncology*

Paper-III : Descriptive and analysing type question

(vii) **PUBLIC HEALTH DENTISTRY**

Part-I

Paper-I : **Applied Basic Sciences:** Applied Anatomy and Histology, Applied Physiology and Biochemistry, Applied Pathology, Microbiology, Oral Pathology, Physical and Social Anthropology, Applied Pharmacology and Research Methodology and Biostatistics.

Part-II:

Paper-I : Public Health

Paper-II : Dental Public Health

Paper-III : **Descriptive and analysing type question**

(viii)

PEDIATRIC DENTISTRY**Part-I**

Paper I : **Applied Basic Sciences :** Applied Anatomy, Physiology, and Biochemistry, Pathology, Microbiology, Pharmacology, Research Methodology and Biostatistics Growth and Development and Dental plaque, Genetics.

Part-II:

Paper-I : Clinical Pedodontics

Paper-II : Preventive and Community Dentistry as applied to pediatric dentistry

Paper-III : Descriptive and analysing type question

(ix)

ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY**Part-I**

Paper I : **Applied Basic Sciences:** Applied Anatomy, Physiology, and Biochemistry, Pathology, Microbiology, Pharmacology, Research Methodology and Biostatistics

Part-II:

Paper-I : Oral and Maxillofacial Radiology

Paper-II : Oral Medicine, therapeutics and laboratory investigations

Paper-III : Descriptive and analysing type question

CHAPTER - VII**GOALS AND OBJECTIVES OF THE CURRICULUM**(25) **GOALS.—**

The goals of the post-graduate training in various specialities is to train the graduate in Dental Surgery who will,

- (i) practice respective speciality efficiently and effectively, backed by scientific knowledge and skill;
- (ii) exercise empathy and a caring attitude and maintain high ethical standards;
- (iii) continue to evince keen interest in professional education in the speciality and allied specialities whether in teaching or practice;
- (iv) willing to share the knowledge and skills with any learner, junior or a colleague;
- (v) to develop the faculty for critical analysis and evaluation of various concepts and views and to adopt the most rational approach.

(26) **OBJECTIVES.—**

The objective of the post-graduate training is to train a student so as to ensure higher competence in both general and special area of interest and prepare him or her for a career in teaching, research and speciality practice. A student must achieve a high degree of clinical proficiency in the subject and develop competence in research and its methodology in the concerned field.

The objectives to be achieved by the candidate on completion of the course may be classified as under:-

- (a) Knowledge (Cognitive domain)
- (b) Skills (Psycho motor domain)
- (c) Human values, ethical practice and communication abilities

(a) KNOWLEDGE.—

- (i) demonstrate understanding of basic sciences relevant to speciality;
- (ii) describe etiology, pathophysiology, principles of diagnosis and management of common problems within the speciality in adults and children;
- (iii) identify social, economic, environmental and emotional determinants in a given case and take them into account for planned treatment;
- (iv) recognise conditions that may be outside the area of speciality or competence and to refer them to the concerned specialist;
- (v) update knowledge by self study and by attending courses, conferences and seminars pertaining to speciality;
- (vi) undertake audit, use information technology and carry out research in both basic and clinical with the aim of publishing or presenting the work at various scientific gathering;

(b) SKILLS:

- (i) take a proper clinical history, examine the patient, perform essential diagnostic procedures and order relevant tests and interpret them to come to a reasonable diagnosis about the condition;
- (ii) acquire adequate skills and competence in performing various procedures as required in the speciality.

(c) HUMAN VALUES, ETHICAL PRACTICE AND COMMUNICATION ABILITIES.

- (i) adopt ethical principles in all aspects of practice;
- (ii) foster professional honesty and integrity;
- (iii) deliver patient care irrespective of social status, caste, creed, or religion of the patient;
- (iv) develop communication skills, to explain various options available and obtain a true informed consent from the patient;
- (v) provide leadership and get the best out of his team in a congenial working atmosphere;
- (vi) apply high moral and ethical standards while carrying out human or animal research;

- (vii) be humble and accept the limitations in his knowledge and skill and to ask for help from colleagues when needed;
- (viii) respect patient's rights and privileges including patient's right to information and right to seek a second opinion.

**PART-VIII
SPECIALITIES**

27. **The following specialties for the post-graduate course to be followed by the university / institute are detailed as under:-**

(i) Prosthodontics and Crown & Bridge:

Prosthodontics and Crown & Bridge is a branch of dental art and science pertaining to the restoration and maintenance of oral function, health, comfort and appearance by the replacement of missing or lost natural teeth and associated tissues either by fixed or removable artificial substitutes.

(ii) Periodontology:

Periodontology is the science dealing with the health and diseases of the investing and supporting structures of the teeth and oral mucous membrane.

(iii) Oral & Maxillofacial Surgery:

Oral and Maxillofacial surgery deals with the diagnosis and surgical and adjunctive treatment of diseases, injuries and defects of the human jaws and associated oral and facial structures.

(iv) Conservative Dentistry and Endodontics:

Conservative dentistry deals with prevention and treatment of the diseases and injuries of the hard tissues and the pulp of the tooth and associated periapical lesions, alongwith restoration of those teeth to normal form function and aesthetics .

(v) Orthodontics and Dentofacial Orthopedics:

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics deals with prevention and correction of oral anomalies and malocclusion and the harmonising of the structures involved, so that the dental mechanisms function in a normal way.

(vi) Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology

Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology deals with the nature of oral diseases, their causes, processes and effects. It relates the clinical manifestation of oral diseases to the physiologic and anatomic changes associated with these diseases.

(vii) Public Health Dentistry

Public Health Dentistry is the science and art of preventing and controlling dental diseases and promoting dental health through organised community efforts.

(viii) Pediatric and Preventive Dentistry

Pediatric and Preventive Dentistry deals with prevention and treatment of oral and dental ailments that may occur during childhood.

(ix) Oral Medicine and Radiology

Oral Medicine is a speciality of dentistry concerned with the basic diagnostic procedures and techniques useful in recognising the diseases of the oral tissues of local and constitutional origin and their medical management.

Radiology is a science dealing with x-rays and their uses in diagnosis and treatment of diseases in relation to orofacial diseases.

28. CLINICAL MATERIAL .—

The minimum requirement of clinical material in each speciality of the post-graduate course is detailed in schedule-VIII of these regulations.

SCHEDULE - I
(See clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 11)

MODEL CHECKLIST FOR EVALUATION OF JOURNAL REVIEW PRESENTATIONS.

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No.	Items for observation during presentation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1.	Article chosen was					
2.	Extent of understanding of scope and objectives of the paper by the candidate.					
3.	Whether cross-references have been consulted.					
4.	Whether other relevant publications consulted.					
5.	Ability to respond to questions on the paper / subject.					
6.	Audio – Visual aids used.					
7.	Ability to defend the paper.					
8.	Clarity of presentation.					
9.	Any other observation.					
	Total Score					

SCHEDULE-II
(See clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 11)

MODEL CHECK LIST FOR EVALUATION OF SEMINAR PRESENTATIONS

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No.	Items for observation during presentation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1.	Completeness & Preparation.					
2.	Clarity of presentation.					
3.	Understanding of subject.					
4.	Whether other relevant publications consulted.					
5.	Whether cross-references have been consulted.					
6.	Ability to answer the questions.					
7.	Time scheduling.					
8.	Appropriate use of audio – visual aids.					
9.	Overall performance.					
10.	Any other observation.					

Total Score					
--------------------	--	--	--	--	--

SCHEDULE-III

(See clause (e) of sub-regulation (2) of regulation 11)

(a) MODEL CHECK LIST FOR EVALUATION OF CLINICAL WORK IN Outpatient Department*(To be completed once a month by respective unit heads including posting in other department)*

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Unit Head :

Sl. No.	Items for observation during presentation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1.	Regularity of attendance.					
2.	Punctuality.					
3.	Interaction with colleagues and supportive staff.					
4.	Maintenance of case records.					
5.	Presentation of cases.					
6.	Investigations work up.					
7.	Chair-side manners.					
8.	Rapport with patients.					
9.	Over all quality of clinical work.					
	Total Score					

(b) EVALUATION OF CLINICAL CASE PRESENTATION

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No.	Items for observation during presentation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1.	Completeness of history.					
2.	Whether all relevant points elicited.					
3.	Clarity of presentation.					
4.	Logical order.					
5.	Mentioned all positive and negative points					
6.	Accuracy of general physical examination.					
7.	Diagnosis: Whether it follows logically from history and findings.					
8.	Investigations required.					
	Complete list.					
	Relevant order.					
	Interpretation of investigations.					
9.	Ability to react to questioning Whether it follows logically from history and findings.					
10.	Ability to defend diagnosis.					
11.	Ability to justify differential diagnosis.					
12.	Others.					

Grand Total					
--------------------	--	--	--	--	--

Note: Please use a separate sheet for each faculty member.

SCHEDULE-IV

(See clause (h) of sub-regulation (2) of regulation 11)

MODEL CHECKLIST FOR EVALUATION OF TEACHING SKILL

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No	Items for observation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1.	Communication of the purpose of the talk					
2.	Evokes audience interest in the subject.					
3.	The introduction.					
4.	The sequence of ideas.					
5.	The use of practical examples and / or illustrations.					
6.	Specking style (enjoyable, monotonous, etc. specify)					
7.	Attempts audience participation.					
8.	Summary of the main points at the end.					
9.	Asks questions.					
10.	Answers questions asked by the audience.					
11.	Rapport of speaker with his audience.					
12.	Effectiveness of the talk.					
13.	Uses audio-visual aids appropriately.					

SCHEDULE-V

(See clause (l) of sub-regulation (2) of regulation 11)

(a) **MODEL CHECKLIST FOR DISSERTATION PRESENTATION**

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No.	Prints to be considered.	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1	Interest shown in selecting topic.					
2	Appropriate review.					
3	Discussion with guide and other faculty.					
4	Quality of protocol.					
5	Preparation of proforma					
	Total Score					

(b) **CONTINUOUS EVALUATION OF DISSERTATION WORK BY GUIDE / CO-GUIDE**

Name of the Trainee :

Date :

Name of the Faculty / Observer :

Sl. No.	Items for observation during presentation	Poor 0	Below Average 1	Average 2	Good 3	Very Good 4
1	Periodic consultation with guide / co-guide.					
2	Regular collection of case material					
3	Depth of analysis / discussion.					
4	Quality of final output.					
5	Others					
	Total Score					

SCHEDULE-VI

(See clause (l) of sub-regulation (2) of regulation 11)

OVERALL ASSESSMENT SHEET

Date :

Sl. No.	Faculty Member	Name of Trainee and Mean Score									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1											
2											
3											

Signature of Head of the Department

Signature of Principal

Note: The overall assessment sheet used along with the logbook shall form the basis for certifying satisfactory completion of course of study, in addition to the attendance required.

KEY:**Faculty member :** Name of the faculty doing the assessment.**Mean score :** Sum total of all the scores of checklists.**A, B,.... :** Name of the trainee.**SCHEDULE-VII**

(See sub-regulations (2) of regulation 14)

EQUIPMENTS**DEPARTMENT: PROSTHODONTICS AND CROWN & BRIDGE**

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity		Availability
1.	Electrical Dental Chairs and Units	With shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and motorized suction, micromotor and airtor attachment with handpieces.	1 Unit	2 Units	
2.	Articulators – semi adjustable/ adjustable with face bow		6	12	
3.	Micromotor – (Lab Type can also be attached (fixed) to wall		2	4	
4.	Ultrasonic scaler		2	2	
5.	Light cures		2	2	
6.	Hot air oven		1	1	
7.	Autoclave		2	2	
8.	Surveyor		2	2	
9.	Refrigerator		1	1	
10.	X-ray viewer		1	2	
11.	Pneumatic, Crown bridge remover		2	3	
12.	Needle destroyer		1	2	

13.	Intra oral camera		1	1	
14.	Digital SLR camera		1	1	
15.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
16.	LCD projector		1	1	
Clinical Lab for Prosthetics					
1.	Plaster dispenser		2	2	
2.	Model trimmer with carborandum Disc		1	2	
3.	Model trimmer with diamond disc		1	2	
4.	High speed lathe		2	3	
5.	Vibrator		2	4	
6.	Acrylizer		1	2	
7.	Dewaxing unit		1	2	
8.	Hydraulic press		1	1	
9.	Mechanical press		1	1	
10.	Vacuum mixing machine		1	1	
11.	Micro motor lab type		2	3	
12.	Curing pressure pot		1	1	
13.	Pressure molding machine		1	1	
Chrome – Cobalt Lab Equipment					
1.	Duplicator		1	1	
2.	Pindex system		1	1	
3.	Burn-out furnace		1	1	
4.	Welder		1	1	
5.	Sandblaster	Micro and macro	1	1	
6.	Electro – polisher		1	1	
7.	Model trimmer with carborandum disc		1	1	
8.	Model trimmer with diamond disc		1	1	
9.	Model trimmer with double disc (one Carborandum and one diamond disc)		1	1	
10.	Casting machine, motor cast with the safety door closure, gas blow torch with regulator		1	1	
11.	Dewaxing furnace		1	1	
	Induction casting machine with vacuum pump, capable of casting titanium chrome cobalt precision metal		1	1	
12.	Spot welder with soldering, attachment of cable		1	1	
13.	Steam cleaner		1	1	
14.	Vacuum mixing machine		1	1	
15.	Spindle grinder 24,000 ROM with vacuum suction		1	1	
16.	Wax heater		2	3	
17.	Wax carvers (Full PKT Set)		2	3	
18.	Milling machine		1	1	
19.	Stereo microscope		1	1	
20.	Magnifying work lamp		1	1	
21.	Heavy duty lathe with suction		1	1	
22.	Preheating furnace		1	1	
23.	Dry model trimmer		1	1	
24.	Die cutting machine		1	2	
25.	Ultrasonic cleaner		1	1	
26.	Composite curing unit		1	1	
Ceramic Lab Equipment					
1.	Fully programmable porcelain furnace with vacuum pump		1	1	
2.	Ceramic kit (instruments)		3	3	
3.	Ceramic materials (kit)		1	1	

4.	Ceramic polishing kit		2	2	
Implant Equipment					
1.	Electrical dental chair and unit		1	1	
2.	Physio dispenser		1	1	
3.	Implant kit	Minimum 2 systems	2	2	
4.	Implants		10	10	
5.	Prosthetic components		10	10	
6.	Unit mount light cure		1	2	
7.	X-ray viewer		1	2	
8.	Needle destroyer		1	2	
9.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
10.	Autoclave programmable for all recommended cycles		1	2	
11.	X-ray machine with RVG		1	1	
12.	Refrigerator		1	1	
13.	Surgical kit/prosthetic kit		2	2	
14.	Educating models		1	1	
15.	Implant removing instruments		1	1	

DEPARTMENT: PERIODONTOLOGY

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity		Availability
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and motorized suction, micromotor attachment with contra angle handpiece, airoter attachment, ultrasonic scaler (Piezo) with detachable autoclavable hand piece	One chair and unit per post-graduate student and Two chairs with unit for the faculty		
			1 Unit	2 Units	
2.	Autoclave (fully automatic) front loading		1	2	
3.	Steel bin		4	6	
4.	Airoter hand pieces		2	2	
5.	UV chamber		1	1	
6.	Formalin chamber		1	1	
7.	W.H.O probe		2	2	
8.	Nabers probe		2	2	
9.	Williams probe		2	2	
10.	UNC-15 probe		4	4	
11.	Gold Man fox probe		1	1	
12.	Pressure sensitive probe		1	1	
13.	Marquis color coded probe		1	1	
14.	Supra gingival scalers	set	2	2	
15.	Sub gingival scaler	set	2	2	
16.	Arkansas sharpening stone		1	1	
Surgical Instruments					
1.	Routine surgical instrument kit (Benquis periosteal elevator, periotome)	set	2	3	
2.	Surgery trolleys		6	6	
3.	X ray viewer		1	2	

4.	Surgical cassette with sterilisation pouches		4	6	
5.	Electro surgery unit		1	1	
Special Surgical Instruments					
1.	Kirkland's knife	set	1	1	
2.	Orban's knife	set	1	1	
3.	Paquette blade handle		1	1	
4.	Krane kaplan pocket marker	set	1	1	
5.	Mc Calls universal curettes	set	1	1	
6.	Gracey's curettes (No.1-18)	set	2	2	
7.	Mini five curettes	set	1	1	
8.	Cumine scalar		1	1	
9.	Mallet		1	1	
10.	Chisel		1	1	
11.	Oschenbein chisel	straight, curved	1	1	
12.	Schluger bone file		1	1	
13.	Bone fixation screw kit		1	1	
14.	Bone scrapper		1	1	
15.	Bone trephines for harvesting autografts	1 set	1	1	
16.	Bone regenerative materials	Bone graft and GTR membranes	5	5	
17.	Local drug delivery systems	At least two different agents	1 each	1	
18.	Root conditioning agent	At least two different agents	2	2	
19.	Micro needle holder		1	1	
20.	Micro scissors		1	1	
21.	Magnifying loop (2.5 – 3.5)		1	2	
22.	Operating microscope	optional	1	1	
23.	3 rd generation digital probe	optional	1	1	
24.	Bone expander and bone crester	optional	1	1	
25.	Distraction osteogenesis kit	optional	1	1	
26.	Bone mill	optional	1	1	
27.	Bone graft / membrane placement spoon		1	1	
28.	Bone condenser		1	1	
29.	Peizo-surgery unit	optional	1	1	
30.	Centrifuge for PRP/PRF preparation	optional	1	1	
31.	Soft tissue laser (8 watt)		1	1	
32.	Osteotome	set optional	1	1	
MISCELLANEOUS INSTRUMENTS					

1.	Composite gun with material kit		1	1	
2.	Splinting kit with material		2	3	
3.	Composite finishing kit		1	1	
4.	Glass Ionomer cement		1	1	
5.	Digital camera		1	1	
6.	Intra Oral camera		1	1	
7.	Ultrasonic cleaner		1	1	
8.	Emergency kit		1	1	
9.	Refrigerator		1	1	
10.	X-ray viewer		2	2	
11.	LCD projector		1	1	
12.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
13.	Implant Equipment				
14.	Electrical dental chair and unit		1	1	
	Physio dispenser		1	1	
15.	Implant kit	At least two different systems	2	2	
16.	Implants		10	10	
17.	Implant maintenance kit (plastic instruments)		1 set	1 set	
18.	Implant guide		1	1	
19.	X-ray viewer		1	2	
20.	Needle destroyer		1	2	
21.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
22.	Autoclave programmable for all recommended cycles		1	1	
23.	RVG with x-ray machine		1	1	
24.	Refrigerator		1	1	
25.	Surgical kit		2	2	
26.	Sinus lift kit		1	1	
27.	Educating models		1	1	
28.	Implant removing kit		1	1	

DEPARTMENT: ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY

S.No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity		Availability
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and high otorized suction, with micromotor and micro motor attachment	One chair and unit per post-graduate student and Two chairs with unit for the faculty		
			1 Unit	2 Units	

2.	Autoclave	Front loading	2	3	
3.	Fumigators		1	1	
4.	Oscillating saw	With all hand pieces pieces	1	1	
5.	Surgical instruments General surgery kit including tracheotomy kit Minor oral surgery kit Osteotomy kit		2 5 1	2 10 1	
	Cleft surgery kit Bone grafting kit Emergency kit Trauma set including bone plating kit Implantology kit with implants		1 1 1 2 1	1 1 1 2 1	
		Minimum 2 systems	2 10	2 10	
6.	Distraction osteogenesis kit		1	1	
7.	Peizo surgical unit		1	1	
8.	Magnifying loops		1	1	
9.	Operating microscope and Microsurgery kit	desirable	1	1	
10.	Dermatomes		1	1	
11.	Needle destroyer		2	3	
12.	Ultrasonic Cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
13.	Formalin chamber		1	1	
14.	Pulse oxymeter		1	1	
15.	Ventilator		1	1	
16.	Major operation theatre with all facilities		1	1	
17.	Recovery and Intensive Care Unit with all necessary life support equipments		2 beds	2 beds	
18.	Fibrooptic light		1	1	
19.	Inpatient beds		20	20	
20.	Fiber optic laryngoscope		1	1	
21.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
22.	LCD projector		1	1	
23.	Refrigerator		1	1	

DEPARTMENT : CONSERVATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS

S.No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity	Availability
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and motorized	One chair & unit per post-graduate student and two chairs with unit for the faculty	

		suction, micromotor, airotor attachment with hand pieces			
			1 Unit	2 Units	
2.	ENDOSONIC HANDPIECES – Micro endosonic Tips, retro treatment		2	3	
3.	Mechanised rotary instruments including hand pieces (speed and torque control) and hand instruments various systems		3	6	
4.	Rubber dam kit		1 per chair	1 per chair	
5.	Autoclaves for bulk instrument sterilization vacuum (Front loading)		2	3	
6.	Autoclaves for hand piece sterilization		1	1	
7.	Apex locators one for every two chairs		2	4	
8.	Pulp tester		2	4	
9.	Equipments for injectable thermoplasticized gutta percha		1	2	
10.	Operating microscopes 3 step or 5 step magnification		1	1	
11.	Surgical endo kits (Microsurgery)		2	2	
12.	Set of hand instruments (specifications required)		1	2	
13.	Sterilizer trays for autoclave		4	4	
14.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
15.	Variable Intensity polymerization equipments - VLC units	Desirable	1	1	
16.	Conventional VLC units one for every two chairs		2	4	
17.	Needle destroyer		2	2	
18.	Magnifying loupes one for students and one for faculty		1	2	
19.	LCD projector		1	1	
20.	Composite kits with different shades and polishing kits		2	4	
21.	Ceramic finishing kits, metal finishing kits	In ceramic labs	2	3	
22.	Amalgam finishing kits		2	3	
23.	RVG with x-ray machine developing kit		1	1	
24.	Chair side micro abrasion		1	1	
25.	Bleaching unit		1	1	
26.	Instrument retrieval kits		1	1	
27.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
28.	Refrigerator		1	1	
29.	Equipments for casting procedures				
30.	Equipments for ceramics including induction casting machines/ burnout preheat furnaces/ wax elimination furnaces		1	1	
31.	Lab micro motor/ metal grinders / sand blasters/ polishing lathes/ duplicator equipment/ vacuum investment equipments		1	1	

32.	Laser (preferably hard tissue)		1	1	
33.	Face bow with semi adjustable articulator		1	2	

DEPARTMENT : ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity		Availability
			1 Unit	2 Units	
1.	Dental Chairs and Unit	Electrically operated with shadow less lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and motorized suction	One chair & unit per PG student and Two chairs with unit for the faculty		
2.			1 Unit	2 Units	
3.	Vacuum /pressure moulding unit		1	1	
4.	Hydrogen soldering unit		1	1	
5.	Lab micromotor		3	5	
6.	Spot welders		3	5	
7.	Model trimmer (Double disc)		2	3	
8.	Light curing unit		2	2	
9.	High intensity light curing unit		1	2	
10.	Polishing lathes		2	3	
11.	Tracing tables		3	5	
12.	SLR digital camera		1	1	
13.	Scanner with transparency adapter		1	1	
14.	X-ray viewer		3	4	
15.	LCD projector		1	1	
16.	Autoclaves for bulk instrument Sterilization vacuum (Front loading)		1	1	
17.	Needle destroyer		1	1	
18.	Dry heat sterilizer		1	1	
19.	Ultrasonic scaler		1	1	
20.	Sets of Orthodontic pliers		3	3	
21.	Orthodontic impression trays		3	5	
22.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
23.	Electropolisher		1	1	
24.	Typodonts with full teeth set		3	3	
25.	Anatomical articulator with face bow attachments		1	1	
26.	Free plane articulators		1	1	
27.	Hinge articulators		4	4	
28.	Computer software for cephalometrics		1	1	
29.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
30.	Refrigerator		1	1	

DEPARTMENT: ORAL & MAXILOFACIAL PATHOLOGY AND ORAL MICROBIOLOGY

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity		Availability
			1 Unit	2 Units	
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadow less lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and suction	3	6	

2.	Adequate laboratory glassware's as required for processing of biopsy specimens and staining.	Reasonable quantity should be made available			
3.	Adequate tissue capsules / tissue embedding cassettes	Reasonable quantity should be made available			
4.	Paraffin wax bath	thermostatically controlled	1	1	
5.	Leuckhart pieces		10	10	
6.	Block holders		25	25	
7.	Microtome	Manual	1	1	
8.	Microtome	semi – automated	1	1	
9.	Tissue floatation water bath	thermostatically controlled	1	1	
10.	Slide warming table		1	1	
11.	Steel slide racks for staining		5	5	
12.	Diamond glass marker		2	2	
13.	Research microscope with phase contrast, dark field, polarization, image analyzer , photomicrography attachments		1	1	
14.	Multi head microscope	Penta headed	1	1	
15.	Binocular compound microscope		2 for faculty and one per student	4 for faculty and one per student	
16.	Stereo microscope		1	1	
17.	Aluminum slide trays		5	5	
18.	Wooden / plastic slide boxes		5	5	
19.	Wax block storing cabinet		5,000 capacity	10,000 capacity	
20.	Slide storing cabinet		5,000 capacity	10,000 capacity	
21.	Refrigerator		1	1	
22.	Pipettes		5	5	
23.	Surgical kit for biopsy		3	6	
24.	Immuno histo chemistry lab		1	1	
25.	Computer with Internet Connection with attached printer and scanner		1	1	
26.	LCD projector		1	1	
27.	Desirable Equipment				
28.	Cryostat		1	1	
29.	Fluorescent microscope		1	1	
30.	Hard tissue microtome		1	1	
31.	Tissue storing cabinet (frozen)		1	1	
32.	Microwave		1	1	

DEPARTMENT : PUBLIC HEALTH DENTISTRY

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity	Availability
Instruments in the department for comprehensive Oral health care programme				
1.	Dental chairs	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, instrument tray and motorized suction, micromotor attachment	One chair and unit per post-graduate student and one chair with unit for	

		with contra angle handpiece, airoter attachment, ultrasonic scaler (Piezo) with detachable autoclavable hand piece with min 3 tips.	the faculty		
2.			1 Unit	2 Units	
3.	Extraction forceps		4 sets	6 sets	
4.	Filling instruments		4 sets	6 sets	
5.	Scaling instruments	Supra gingival scaling	4 sets	6 sets	
6.	Amalgamator		1	1	
7.	Pulp tester		1	1	
8.	Autoclave		1	1	
9.	X-ray viewer		1	1	
10.	Instrument cabinet		1	1	
11.	LCD or DLP multimedia projector		1	1	
	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
13.	For peripheral dental care or field programme				
14.	Staff bus		1	1	
15.	Mobile dental clinic fitted with at least 2 dental chairs with complete dental unit with fire extinguisher		1	1	
16.	Ultrasonic scaler,		1	2	
17.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
18.	Compressor	One with chair			
19.	Generator		1	1	
20.	Public address system, audio-visual aids		1	1	
21.	Television		1	1	
22.	Digital Versatile Disc Player		1	1	
23.	Instrument cabinet, emergency medicine kits, Blood pressure apparatus		1	1	
24.	Portable oxygen cylinder		1	1	
25.	Portable chair		1	1	
26.	Refrigerator		1	1	

DEPARTMENT : PAEDODONTICS AND PREVENTIVE DENTISTRY

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity	Availability
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe, and motorised suction,	One chair and unit per post-graduate student and Two chairs with unit for the faculty	

		micromotor attachment with contra angle miniature handpiece, airotor attachment with miniature handpiece, dental operator stool (40% dental chairs shall be pedo chairs)			
2.			1 Unit	2 Units	
3.	Pedo extraction forceps sets		3	4	
4.	Autoclaves for bulk instrument sterilization vacuum (Front loading)		1	2	
5.	RVG with intra oral x-ray unit		1	1	
6.	Automatic developer		1	1	
7.	Pulp tester		2	3	
8.	Apex locator		1	1	
9.	Rubber dam kit	One set per student	1	1	
10.	Injectable GP condenser		1	1	
11.	Endodontic pressure syringe		1	1	
12.	Glass bead steriliser		2	4	
13.	Spot welder		2	3	
14.	Ultrasonic scalers		2	4	
15.	Needle destroyer		1	1	
16.	Formalin chamber		1	1	
17.	Ultrasonic cleaner capacity 3.5 lts		1	1	
18.	X-ray viewer		2	3	
19.	Amalgamator		1	2	
20.	Plaster dispenser		2	2	
21.	Dental lathe		1	2	
22.	Vibrator		2	3	
23.	Typodonts	One set per student	1	1	
24.	Soldering unit		1	1	
25.	Band pinching beak pliers		2 Sets	2 Sets	
26.	Proximal contouring pliers		2	3	
27.	Crown crimping pliers		2	3	
28.	Double beak pliers anterior and posterior		2	3	
29.	Lab micro motor		2	3	
30.	Acryliser		1	2	
31.	Magnifying loupes		1	1	
32.	Conscious sedation unit	Desirable	1	1	
33.	Pulse oxymeter		1	1	
34.	Phantom head table with attached Light, Airotor and micro motor	One set per each P.G. Student	1	1	
35.	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
36.	LCD projector		1	1	
37.	Refrigerator		1	1	

DEPARTMENT: ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY

S. No.	NAME	SPECIFICATION	Quantity	Availability
1.	Dental Chairs and Units	Electrically operated with shadowless lamp, spittoon, 3 way syringe,	One chair and unit per post-graduate student and one chair with unit	

		instrument tray and suction	for the faculty		
			1 Unit	2 Units	
2.					
3.	RVG with intra oral radiography machine (FDA Approved)	55-70 kVp with digital compatibility	1	1	
4.	Extra oral radiography machine	100 kvp	1	1	
5.	Panoramic radiography (OPG) machine with cephalometric and TMJ attachment with printer	Digital compatibility	1	1	
	Intra-oral camera		1	2	
	Pulp tester		2	4	
	Autoclave		1	1	
	Punch biopsy tool		2	3	
	Biopsy equipment		1	2	
	Surgical trolley		2	2	
	Emergency medicines kit		1	1	
	Extra oral cassettes with intensifying screens (Conventional and rare earth)		4	6	
	Lead screens		2	2	
	Lead aprons		2	2	
	Lead gloves		2	2	
	Radiographic filters (Conventional and rare earth)		1	1	
	Dark room with safe light facility		1	1	
	Automatic radiographic film processors		2	2	
	Radiographic film storage lead containers		1	1	
	Thyroid collars		1	1	
	Digital sphygmomanometer		1	1	
	Digital blood glucose tester		1	1	
	Digital camera		1	1	
	X-ray viewer boxes		2	3	
	Lacrimal probes		2 sets	2 Sets	
	Sialography cannula		2 sets	2 Sets	
	Illuminated mouth mirror and probe		2	2	
	Computer with internet connection with attached printer and scanner		1	1	
	LCD projector		1	1	
	Refrigerator		1	1	

SCHEDULE-VIII
(See regulation 28)

CLINICAL MATERIAL

FOR COLLEGES WITH 50 UG ADMISSIONS
Minimum Requirement (both UG & PG together)

Conservative Dentistry and Endodontics

Unit	Starting MDS	1 st Renewal	2 nd & 3 rd Renewal	Recognition
1 st Unit	35	40	50	50
2 nd Unit	60	70	80	80

Oral Medicine & Radiology

Unit	Starting MDS	1 st Renewal	2 nd & 3 rd Renewal	Recognition
1 st Unit	75	80	90	100
2 nd Unit	110	120	130	130

Oral & Maxillofacial Surgery

Unit	Starting MDS	1 st Renewal	2 nd & 3 rd Renewal	Recognition
1 st Unit	30 (1+4)	35 (1+8)	40 (2+10)	40 (2+10)
2 nd Unit	50 (2+12)	60 (2+14)	70 (2+16)	70 (2+16)

The average of Major Surgeries + Minor Surgeries per week are mentioned above in the brackets

Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	1+2+3	1+3+3	1+3+5	1+3+5
2 nd Unit	2+4+6	2+5+8	2+6+10	2+6+10

* (Biopsy + Cytology + Hematology per week)

Orthodontics & Dentofacial Orthopedics

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	15	20	25	25
2 nd Unit	30	35	40	40

Pediatric Dentistry

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	20	25	30	30
2 nd Unit	35	40	45	45

Periodontology

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	30	35	40	40
2 nd Unit	50	60	70	70

Prosthodontics and Crown & Bridge

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	20	25	30	30
2 nd Unit	35	40	50	50

Public Health Dentistry (including Patients in Satellite Clinics)

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	30	35	40	40
2 nd Unit	50	55	60	60

**FOR COLLEGES WITH 100 UG ADMISSIONS:
Minimum Requirement (both UG & PG together)**

Conservative Dentistry and Endodontics

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	50	60	70	70
2 nd Unit	80	90	100	100

Oral Medicine & Radiology

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	100	120	140	150
2 nd Unit	160	170	180	180

Oral & Maxillofacial Surgery

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	40 (1+4)	50 (1+8)	60 (2+10)	60 (2+10)
2 nd Unit	70 (2+12)	80 (2+14)	100 (2+16)	100 (2+16)

The average of Major Surgeries + Minor Surgeries per week are mentioned above in the brackets()

Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	1+3+5	1+6+5	2+6+10	2+6+10
2 nd Unit	3+6+12	3+7+12	3+7+14	3+7+14

* (Biopsy + Cytology + Hematology per week)

Orthodontics & Dentofacial Orthopedics

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	20	25	30	30
2 nd Unit	40	45	50	50

Pediatric Dentistry

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	30	35	40	40
2 nd Unit	50	55	60	60

Periodontology

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	40	50	60	60
2 nd Unit	80	90	100	100

Prosthodontics and Crown & Bridge

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	30	35	40	40
2 nd Unit	50	55	60	60

Public Health Dentistry (including Patients in Satellite Clinics)

Unit	Starting MDS	2 nd Renewal	3 rd & 4 th Renewal	Recognition
1 st Unit	40	45	50	50
2 nd Unit	60	65	70	70

LOG BOOK
TABLE 1
ACADEMIC ACTIVITIES ATTENDED

Name :

Admission Year:

College :

<i>Date</i>	Type of activity (Specify Seminar, Journal club, presentation, under-graduate teaching)	Particulars

TABLE 2
ACADEMIC PRESENTATIONS MADE BY THE TRAINEE

Name :

Admission Year:

College :

<i>Date</i>	Topic	Type of activity (Specify Seminar, Journal club, presentation, under-graduate teaching)

TABLE 3
DIAGNOSTIC AND OPERATIVE PROCEDURES PERFORMED

Name:

Admission Year:

College:

<i>Date</i>	Name	OP No	Procedure	Category O, A, PA, PI

Key:

O-Washed up and observed-Initial six months of admission

A-Assisted senior surgeon-I year MDS

PA- Performed procedure under the direct supervision of a senior surgeon-II year MDs

PI-Performed independently –III year MDS

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./207/17]